संपादकीय

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की निर्धारित दरें

कारखानों, बैंकों तथा अन्यान्य उद्योगों के कर्मचारियों तथा मजदूरों के अपने-अपने संगठन हैं और जब वे देखते हैं कि उनके ऐशो आराम के लिए उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल रहा तो वे हड़ताल कर बैठते हैं। मालिकों से वे अपने संगठनों के बल पर सौदाबाजी कर सकते हैं। परन्तु बेचारे खेतिहर मजदूर का न कोई संगठन है और न उसमें मालिक से सौदाबाजी करने की हिम्मत है। मालिक ने जो दे दिया वही ठीक है, उसी में रूखे-सूखे उसे गुजर करनी पड़ती है। केवल भाग्य के सहारे ही वह अपनी जीवन नौका चलाता है। सदियों के शोषण और उत्पीड़न से न उसमें आत्मविश्वास रहा है और न पहल करने की हिम्मत। देश आजाद हुआ पर क्या वह आजादी का स्वाद चख सका है? परन्तु अब दिन बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का विशेष लक्ष्य यह है कि असंगठित खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाकर उनके शोषण को रोका जाए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ये खेतिहर मजदूर बड़ी संख्या में देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। इस कारण गरीबी दूर करने के किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार आवश्यक है ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और उनकी शक्ति का लाभ देश के रचनात्मक तथा विकासात्मक कार्यों को मिल सके।

यह बात नहीं कि सरकार खेतिहर मजदूरों के कल्याण के प्रति उदासीन थी बल्कि उनके हितसंरक्षण और शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की परिधि के अन्दर लाया गया है। यह अधिनियम तीन दशक से भी पुराना है और समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित होती रही हैं।

सन् 1975 में जब प्रधानमंत्री का बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया तो उस समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लागू करने के कार्य में तेजी आई थी और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरें निर्धारित करने के काम ने काफी जोर पकड़ा था। श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों में भी खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरें निर्धारित करने पर विशेष बल दिया गया था। 1 जनवरी, 1982 में जब नए बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया तो प्रधानमंत्री ने खेतिहर मजदूरों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने पर विशेष बल दिया। तब से इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के कार्य में भी विशेष तेजी आई है। सभी राज्यों से कहा गया है कि इस न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू करने और पुनर्रीक्षित करने पर अधिक जोर दें और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करें। पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरी की न्यूनतम दरें 6 रुपये से लेकर 8.75 रुपये तक निर्धारित थी। परन्तु पुनर्रीक्षण के बाद इन्हें अब 10 रुपये तक दिया गया है। परन्तु हमारे विचार में आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक खेतिहर मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अतः जरूरी है कि फिर से पुनर्रीक्षण किया जाए और दरें फिर से निर्धारित की जाएं।

परन्तु न्यूनतम दरें लागू करने का काम बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि खेतिहर मजदूर देश के सभी दूर-दराज क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उन बेचारों को यह भी पता नहीं कि उनकी न्यूनतम मजदूरी कानूनन निर्धारित कर दी गई है। मालिक हमेशा ही उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाता है। इसलिए सरकार इस बात पर भी विशेष बल दे रही है कि प्रचार माध्यमों के जरिए न्यूनतम दरों से उन्हें अवगत कराया जाए। श्रम मंत्रालय ने ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की है जिसके अधीन एक अवैतनिक आयोजक नियुक्त करने का प्रावधान है। आठ राज्यों में यह योजना लागू भी हो चुकी है। सरकार खेतिहर मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का कार्यक्रम केवल अकेला ही कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम भी उनके हित साधन में लगे हुए हैं। □

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल
सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एल० आर० बत्रा
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : कु० अलका

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 **फाल्गुन–चैत्र 1904-1905** **अंक 5**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

समृद्धि का मार्ग : बीस-सूत्री कार्यक्रम 2
श्रीमती इन्दिरा गांधी

समग्र ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम : एक वरदान 4
ईश्वरदेव मिश्र

गांव का बसंत (कविता) 6
चैनराम शर्मा

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता 7
रामबिहारी विश्वकर्मा

समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन 9
डा० सुदामासिंह * अभय कुमार

हरेक के लिए एक घर 12
एम० के० मुखर्जी

ऊर्जा की उजली रेखाएं 14
रमेश दत्त शर्मा

कृषि श्रम में सुधार एवं बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास 16
डा० विनय कुमार लाल श्रीवास्तव

आदिवासी क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन 18
एम० के० भारत

बंजर धरती बनेगी कामधेनु 19

ग्रामीण उद्योगीकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका 20
अमिताभ तिवारी

साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता 24
अहद् प्रकाश

पंडित जी (कहानी) 26
ज्ञान प्रकाश 'विवेक'

केन्द्र के समाचार 30

प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष हिन्दी प्रचार से ही दूर होना संभव 32

चलो गांव की ओर (कविता) आवरण पृष्ठ 3
जगदीश चन्द्र शर्मा

होली का सतरंगी धनुष (कविता) 3
पूरन सरमा

बीस-सूत्री कार्यक्रम

श्रीमती इन्दिरा गांधी

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इन्टक) की ओर से 25 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली में नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के कुछ अंश।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने शुरू से ही, किस प्रकार देश आर्थिक रूप से उन्नति करे, किस प्रकार से विकास फैले, उस के लिए योजना बनायी। योजना इसलिए है कि देश की आर्थिक नींव मज़बूत हो और उसके द्वारा हम आहिस्ता-आहिस्ता, हो सके तो जल्दी-जल्दी, गरीबी को अपने देश से हटाएं, आर्थिक पिछड़ेपन के ऊपर समाज को उठाएं 1975 में हमने एक 20-सूत्री कार्यक्रम का एलान किया था, वह योजना से कोई अलग चीज नहीं थी लेकिन योजना में से हमने वह चीजें निकाल लीं जो हमें लगा कि अति आवश्यक है और जिन पर जोर देना है और सबका ध्यान ज्यादा उस तरफ आकर्षित करना है। हमारी सरकार 1980 में वापस आयी तो हमने फिर से देखा कि यह प्रोग्राम वैसे ही चलाना है या उसमें कोई परिवर्तन करना है। तो नया 20-सूत्री कार्यक्रम, नया तो नहीं बदला हुआ समझिये, जो पिछले वाले को छोड़ नहीं रहा है लेकिन इस पर मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सी बातें पूरी हो गईं और किस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, वह बनाया गया और जो 5 बातें थीं, असल में वह भी हमारी योजना के भीतर हैं और शुरू से ही हमारे ध्यान में थीं। चाहे मेरी सरकार थी, चाहे वह पंडित जी की सरकार थी·····।

अब हमारा जो नया 20-सूत्री कार्यक्रम है, वह 5 मुद्दे हमने उसमें जोड़ दिए हैं क्योंकि उनको भी आगे बढ़ाना है। जब से इस कार्यक्रम का एलान हुआ 1975 में तभी से इसके प्रति एक उत्साह पैदा हुआ लेकिन अगर उत्पादन नहीं बढ़ता है तो हम न ही मज़दूरों की सहायता कर सकते हैं और न किसान की सहायता कर सकते हैं। उत्पादन है देश का धन, इसीलिए 20-सूत्री कार्यक्रम में, दूसरे सब कार्यक्रमों में उत्पादन और पैदावार पर इतना जोर दिया जा रहा है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह राष्ट्र का प्रश्न है। न यह हमारी सरकारी दल का कार्यक्रम है क्योंकि आज़ादी और विकास और ऐसी सब चीजें, गरीबी से लड़ना, यह दल और हर चीज़ से ऊंचा है।

इसलिए हम समझते हैं कि इन्टक पर 20-सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो सब की है प्रत्येक नागरिक की है लेकिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की नींव डाली है, उनके ऊपर उनका बोझ भी ज्यादा पड़ता है। खास तौर से जब कोई हड़ताल बहुत दिनों तक चलती है तो उस वक्त जो धन खोया जाता है, चाहे माल बनाने का धन हो चाहे असली रुपये की बात हो, उससे ज्यादा बोझ तो मज़दूर पर ही पड़ता है। आई० एन० टी० यू० सी० शुरू से ही हमारे मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ती रही और काम करती रही। कुछ तो मैंने कहा कि 20-सूत्री कार्यक्रम में मज़दूरों की बातें हैं लेकिन हमारे यहां जो पश्चिमी देशों में मज़दूर और किसान वर्ग में कुछ झगड़ा रहता है, कम्पटीसन-सा रहता है। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारे मजदूर भाई भी देहात से आते हैं और अभी भी उनका रिश्ता देहात से बहुत पास का है। इसलिए जो देहात के कार्यक्रम हैं वे भी उनके लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि उद्योग

के हैं कृषि का कार्य, उत्पादन, उद्योग कारखानों का उत्पादन, यह बिल्कुल संग-संग हमारे यहां चलना चाहिए लेकिन क्या-क्या कठिनाइयां हैं उनको मैं आपको कैसे बतलाऊं ?

अब मैंने जरा जोर दिया कि कुछ अर्से तक हम अपने सामने भारत का नक्शा रखें और जिन जिलों में कोई उद्योग नहीं हैं पहले हम उनकी तरफ ध्यान दें फिर दूसरी तरफ हम जाएं। यह बेरोजगारी के लिए अति आवश्यक है। और उन पिछड़े हुए जिलों में चाहे 20–सूत्री कार्यक्रम हो चाहे योजना हो उसका एक मुख्य ध्येय यह है कि पिछड़ापन समाप्त हो । अगर हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय देना है तो संतुलन हमें देश पर रखना है । यह आर्थिक और सामाजिक न्याय देना, यह तो हमारा शुरू से से ही मुख्य ध्येय है । हमें खेद है कि हमने एक रास्ता पकड़ा जिसे हम मिक्स्ड इकानामी कहते हैं । लेकिन हमें यह हर समय देखना है कि इस मिक्स्ड इकानामी का लाभ जो अभी भी, जिनके पास ज्यादा अधिकार, ज्यादा साधन, ज्यादा धन है उनकी तरफ ज्यादा न जाए । मिक्स्ड के माने बिलकुल यह नहीं है कि झुकाव उधर हो । मिक्स्ड के माने है कि जो लाभ हमें उन लोगों से मिल सकता है जो उद्योगपति इत्यादि हैं वह लाभ राष्ट्र को मिले और जो काम राज्य व शासन स्वयं अच्छा कर सकता है या जो किसी कारण करना पड़ता है वो वह करे और एक हिस्सा जिसे हम कोरसेक्शन कहते हैं वह तो खैर राष्ट्र के हाथ में है ही।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि हर प्रकार के मजदूरों के अधिकारों को हमें बचाना है और यह मुख्य काम आई० एन० टी० यू० सी० का है और आप सब सज्जन भाई और बहनें आप जो यहां हैं लेकिन जो मजदूर वर्ग है अपने प्रश्नों को जरा बड़े पैमाने पर, राष्ट्र के क्या प्रश्न हैं, उस पर रख कर देखना है। क्योंकि कोई भी वर्ग हो, कोई भी कौम हो केवल अपने लिए कुछ मांगे और उससे दूसरे की मदद हो सके तो फिर थोड़ी दूर तक बढ़ सकते हैं, फिर अटक जाते हैं आजादी के पहले भी कुछ हिन्दुस्तानी तो ऊंचे बढ़ गए थे लेकिन उसके ऊपर एक सीमा थी, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते थे । जब देश की नींव ऊपर उठती है सबसे गरीब लोग ऊपर उठते हैं । ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं और तभी जिनके पास पहले से नौकरी है वे भी और ऊपर बढ़ सकते हैं। अगर कहें कि नहीं, इन लोगों को क्योंकि एक मिल में बहुत मुनाफा है, इनको मिल जाए चाहे, पड़ोस में इससे बुरी हालत है, इससे समाज में असंतुलन आता है जिससे कि शांति भंग हो सकती है। तो हर प्रश्न को थोड़ा इस तरह से देखना है कि दूसरे किसी को उससे हानि न हो और जो हमारे सीमित साधन हैं उन्हें भी जहां तक हो सके और फैलाएं जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को हम जिन्हें गरीबी की रेखा से नीचे कहते हैं, ऊपर उठाएं ।

यहां आजादी के बाद, विशेषकर के पिछले सालों ज्यादा कोशिश इस तरफ की कि कई करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से उपर कर पाए हैं । लेकिन करोड़ों अभी भी इसके नीचे हैं । हमारी समस्याएं कोई समाप्त नहीं हो गईं इसलिए काम और अधिक जोरों से करना चाहिए और यह 20–सूत्री कार्यक्रम योजना सफल बनाने का, जैसा मैंने पहले कहा, कोई थोड़े-से लोगों का काम नहीं है, केवल शासन का काम नहीं, सब का काम है, जिम्मेदारी का काम है, लेकिन इसको हमें एक आन्दोलन के रूप में तमाम नागरिकों को हमें इसमें किसी तरह से लगाना है, तब समझेंगे कि यह तो हमारा कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम है इस प्रकार हरेक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक यदि यह समझेगा कि यह काम आगे बढ़ेगा और तभी सच्चे समाजवाद की तरफ जाने की जो कोशिश कर रहे हैं और जिसमें अनेक रुकावटें हैं रास्ते हैं, उन रुकावटों को हम केवल आपकी सहायता से ही हटा सकते हैं।

तो इन बातों पर और देश पर दूसरे क्या खतरे हैं, खैर यहां तो नहीं, आप यहां तो एक ही चीज पर आए हैं 20-सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा करें लेकिन अपनी-अपनी जगह जाकर देश पर क्या खतरे हैं, क्या बाहर के दबाव आते हैं, कौन-से दबाव उसको दिखते हैं, बहुत से हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनसे हमें जोरों से लड़ना है। हमें अपनी आजादी कायम रखनी है और वह तभी हो सकता है जब यह एक दूसरे से हर समय एक लड़ाई न रहे। हम सोचेंगे कैसे मिल कर चलें। हमारी तो हमेशा कोशिश है कि सबसे बातचीत करें। कभी-कभी उसमें हमारे ही दोस्त उसमें नाराज भी हो जाते हैं कि उससे बातचीत करें क्योंकि, उसके संग वह क्यों किया लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि देश कैसे मजबूत हो ? देश की समस्याओं का कैसे समाधान हो ?....कोई यह न समझे कि हम डर गए? हम डर और कमजोरी से कुछ नहीं करते। हम जब करते हैं कोई काम, जब हमें लगता है कि हमारे करने से, दोस्ती का हाथ बढ़ाने से, देश का कुछ लाभ हो सकता है, देश में वह शांति आए जिसमें सब मिलकर इन प्रश्नों का सामना करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। इस दृष्टि-कोण से हम चाहते हैं कि हम सब लोग आगे बढ़ें और देहात को तो हमें सुधारना ही है, क्योंकि अधिकांश हमारा देश देहात में है। अधिकांश हमारी जनता कृषि के काम में लगी है या गांव में रहने वाले लेकिन संग-संग वे लोग जो शहर में आते हैं, उनकी तरफ भी देखना है और मिल कर हमें, हमारी एक ही चिन्ता है कि कैसे सब लोग आगे बढ़ें, देश की एकता मजबूत रहे, देश की शक्ति बढ़े, अपनी आजादी को हम सुरक्षित रखें और जो रास्ता हमने अपने लिए चुना है, आजादी का रास्ता, भारत की हमारी जो परम्परा है, उसको रखते हुए, आधुनिक बनाएं अपने देश को, उस तरफ हमें मजबूती से चलाना है । मुझे पूरा विश्वास है कि आई० एन० टी० यू० सी० इसमें बड़ा भाग लेगी और उसकी ताकत से देश ताकतवर होगा और अपने काम से, अपनी निष्ठा से, आप दूसरों को भी अपने साथ ले सकेंगे, जिससे हम हर प्रकार से तेजी से आगे बढ़ेंगे। □

समग्र ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम एक वरदान

ईश्वरदेव मिश्र

भारत एक धनी देश है जहां गरीब लोग बसते हैं। विदेशियों की इस उक्ति को झुठलाने और यहां के आम लोगों की माली हालत को सुधारने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने देश के सामने बीस सूत्री कार्यक्रम के रूप में एक ठोस और स्पष्ट आर्थिक-निर्देशन प्रस्तुत किया है। देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इसलिए सरकार ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों के विकास की दिशा में जिस दृढ़ता से कदम बढ़ाया है उसके परिणाम गांवों में दिखाई पड़ने लगे हैं। योजना मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण ने विगत दिनों लोकसभा में कहा था कि 1972-73 में जहां 52 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी झेलते थे वहां 1977-78 में 48 प्रतिशत लोग इस रेखा से नीचे रह गए थे। उन्होंने छठी योजना के अन्त तक 30 प्रतिशत लोगों के इस स्थिति में रह जाने का विश्वास व्यक्त किया है। आबादी बढ़ने से इन आंकड़ों के सत्यासत्य में कुछ उलटफेर भी सम्भव है किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि गांवों के आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में काफी कम काम आगे बढ़ा है।

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के नियोजित विकास का जो सिलसिला नेहरू जी ने शुरू किया था उससे कृषि और उद्योग की दिशा में हमने बहुत हद तक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। किन्तु शहर-परस्त नौकरशाही के कारण जहां विकास और प्रगति का प्रकाश शहरों तक ही सीमित रह गया, वहां तेजी से बढ़ती हुई आबादी ने हमारी उपलब्धियों को भी निष्प्रभावी (न्यूट्रलाइज) कर दिया। अतः अपनी अर्थ-व्यवस्था की बेहतरी को गांवों तक पहुंचाने और ग्रामीणों की गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या का निदान प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना प्रथम बीस-सूत्री कार्यक्रम 1975 में घोशित किया। इसके द्वारा 1976 में बंधुआ मजदूरी समाप्त हुई, तस्करों की परिसम्पत्ति जब्त हुई, सड़क परिवहन में राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था शुरू हुई, 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई-व्यवस्था हुई, हरिजनों को मकान के लिए जमीन दी गई और भूमिहीनों में कृषि योग्य भूमि का आबंटन हुआ। आयकर में छूट देकर निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लाखों लोगों को राहत दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि गांवों में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का एक वातावरण बना। जनता शासन के दौरान भी अन्त्योदय कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की उन्नति का एक नया प्रयास हुआ।

दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में 1980 में महात्मा गांधी के जन्म दिन दो अक्तूबर को नया कार्यक्रम शुरू किया। इसके पीछे भावना यह थी कि ग्रामीण जीवन की नई संरचना की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें निर्धन वर्ग का अभ्युत्थान हो। देश की आबादी के 80 प्रतिशत भाग के अभ्युत्थान को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछली 14 जनवरी 1982 को संक्रान्ति पर्व पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नए बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए ठोस और समयबद्ध उपलब्धियों की अपेक्षा की गई थी। श्रीमती गांधी ने स्वयं कहा था, "20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हम विशेष मुद्दों पर खास जोर दें, जिसमें हमारे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में कुछ ठोस परिणाम दिखाई पड़े।" इस कार्यक्रम के 20 सूत्रों में 18 सूत्र ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध ग्राम्य विकास से है। प्रस्तुत प्रसंग में समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर विचार अभीष्ट हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी योजना के पूर्व तक चालू विभिन्न कार्यक्रमों एस० एफ० डी०, आई० आर० डी०, एस० एल० पी० आदि का एक समन्वित रूप है, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी जीने वाले डेढ़ करोड़ परिवारों के अभ्युदय की गारंटी दी गई है।

समन्वित विकास कार्यक्रम कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्र, ग्राम्य और कुटीर उद्योग, रोजगार सेवाओं के विस्तार और श्रम की गतिशीलता तथा प्रशिक्षण योजनाओं को लेते हुए ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतीत हुए हैं। इनका लक्ष्य हर हाथ को काम और हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना है। रोजगार वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि कार्यकुशलता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, परम्परावादी लोगों की मनस्थिति को वैज्ञानिक विचार वीथि में ढालने के साथ ही गांवों की विपणन व्यवस्था को विनियमित एवं सुव्यवस्थित करने का संकल्प इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है।

समन्वित ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को सफल बनाने की दृष्टि से गांवों के सबसे गरीब परिवारों का चयन कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड को आठ लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। दुग्ध उत्पादन, मुर्गी, भेड़, सुअर, मछली और रेशम के कीड़े पालने के अतिरिक्त कृषि विकास, ग्रामीण और लघु उद्योग को प्राथमिकता, गृहहीनों को आवास और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था के विकास के लक्ष्यों का तीव्र गति से कार्यान्वयन हो रहा है। परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, देहातों में कुटीर उद्योगों का जाल, ग्रामीणों को काम मुहैया कराने की व्यवस्था और श्रम शक्ति के कुशलीकरण के कार्यक्रम को अपनाकर महात्मा गांधी और विनोबाभावे की नीतियों को मूर्तरूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी कठिन यात्रा में न आराम है और न समय है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है "सत्यमेव जयते"। अपने दैनिक जीवन में हमें एक और आदर्श वाक्य का अनुकरण करना चाहिए "श्रम एव जयते। इस प्रकार "श्रम एव जयते" का नया नारा देकर श्रीमती गांधी ने राष्ट्रीय उत्पादकता वर्ष में सर्वतोन्मुखी उत्पादन वृद्धि पर ज़ोर दिया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि गांव के आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में अपनाया गया यह कार्यक्रम मूर्तरूप लेने लगा है।

सिंचाई साधनों का विकास, कृषि के आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, उन्नत बीज और उर्वरकों की व्यवस्था, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने और कृषि की नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराने की दिशा में जहां भरपूर काम हो रहा है वहीं गन्ना, दाल, तिलहन जैसी नगदी फसलों को प्रोत्साहन दिए जाने से गांवों में लक्ष्मी का प्रवेश स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है। काम के बदले अनाज योजना के तहत गांवों को सड़कों द्वारा मंडियों से जोड़ने का कार्यक्रम भी साकार रूप लेने लगा है और इन पर टायर गाडियां, बैलगाड़ियां, ट्रेलर, ट्रैक्टर दौड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। चालू वर्ष में ग्राम्य-विकास पर 30 अरब रुपये के ऋण के अतिरिक्त 15 अरब रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है।

गांवों की एक बड़ी श्रम शक्ति नियमित रूप से वर्ष में प्रायः 6 माह बेकार रहती है। भूमिहीनों और खेत मजदूरों की स्थिति तो बदतर रही है। गांवों में शोषण-दोहन के विरुद्ध जेहाद, बंधुआ मज़दूरी की प्रथा समाप्ति और जातीयता की दुर्भावना के विस्तार के बाद से उच्च वर्गीय किसान भी अपना काम स्वयं करने लगे हैं। परिणामतः खेत मज़दूरों की विकट स्थिति को देखते हुए ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर छठी योजना में 16 अरब 20 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। स्थायी उपयोगिता मूलक कार्यक्रमों पर विशेष जोर देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु ग्रामीण एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चार प्रतिशत सूद पर रोज़गार ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें भी 15 से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। बेरोज़गारों को पशुपालन और दुग्ध उत्पादक की ओर आकर्षित कर स्वतः रोज़गार कार्यक्रम की सफलता हेतु उन्नत नस्ल के दुधारू पशु सरकारी ऋण पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रचुर दुग्ध योजनाओं के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इससे जहां पौष्टिकता और शारीर-शौष्ठव का लाभ मिलेगा वहीं रोटी की समस्या हल होगी। जहां ग्रामीणों की आय बढ़ेगी वहीं बेरोजगारी में भी कमी आएगी। ग्रामीण वास्तुकारों, कलाकारों, उद्यमियों और महिलाओं को स्वतः रोजगार की ओर प्रवृत्त करने की दिशा में जिस प्रकार काम हो रहा है वह आशाप्रद भविष्य का द्योतक है।

अब तक के अनुभव से यह स्पष्ट है कि समग्र ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के घुन लग गए हैं। सरकार जिस पवित्र भावना से यह धनराशि गरीबों और ग्रामीणों के विकास के लिए आबंटित करती है उतनी ही अपवित्रता इसके कार्यान्वयन में है। कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि अवैध कमाई बनकर उन हाथों में चली जा रही है जिनसे होकर यह सहायता या ऋण इन गरीबों को मिलता है। अतः सहायता की वितरण और आबंटन प्रणाली में सुधार अपेक्षित है। ग्राम्य विकास के इन कार्यक्रमों में स्वयं जनता की हिस्सेदारी उस स्तर तक नहीं है जितनी होनी चाहिए। योजनान्तर्गत निर्धारित और आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण नहीं हो पाता। गांवों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार, प्रशासनिक मशीनरी का ग्रामोन्मुख होना और समय से संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सहभागिता मात्र कर्ज़ के पात्र अथवा प्रजा जैसी है, न कि इस देश की सर्व-प्रमुख सम्पन्न नागरिक जैसी। इन कार्यक्रमों में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों की पहल या सहभागिता न होने से इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यह सहायता उन लोगों को सही ढंग से नहीं पहुंच रही है जिन लोगों के लिए बनी है।

इसमें भी बीच के दलाल पैदा हो गए हैं और गुड़ का लाभ चींटा खा रहा है। जब तक सतर्कता समितियां हर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से नहीं जुड़ेंगी, तब तक इन योजनाओं का सही लाभ सही व्यक्ति को नहीं मिल सकेगा। समृद्ध वर्ग का इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से विरत रखना आवश्यक है। घुरहू के नाम पर ली गई भैंस बाबू साहब के दरवाजे पर क्यों बंधी है, इसे देखना और समझना होगा।

गांवों में व्याप्त अशिक्षा, रूढ़िवादिता, जातीयता, पोंगापंथीपन, निराशा-दृष्टि और अंध-विश्वासों को तोड़कर वैज्ञानिकता का प्रवेश वैसे ही संघर्ष के द्वारा हो रहा है जैसा संघर्ष नव-अंकुरित बीज को मिट्टी के साथ करना पड़ता है। जरूरत है कि गांवों के विकास के अपने दायित्व को हर शहरी और विकसित नागरिक तथा सरकार समझे और दोनों के सम्मिलित प्रयास से एक स्वच्छ और सत्य श्रम-शक्ति पर आधारित ईमानदार ग्राम्य विकास व्यवस्था पल्लवित और पुष्पित हो।

ऊपर जिन त्रुटियों का उल्लेख किया गया है उनकी ओर अनुभव के साथ-साथ सरकार की दृष्टि जा रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी भी ढिलाई या कर्तव्यहीनता पर सरकार कठोर रुख अपना रही है। सहायता व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए गांव-स्तर पर भी समितियां गठित करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। नियोजन में ग्रामीण जनता की साझेदारी का कहीं-कहीं काफी सफल प्रयास किया गया है।□

गांव का बसंत

चेनराम शर्मा

जामुन की फुनगी, फागुनी धूप।
सरसों के खेत, धरती का रूप॥
इतराती टहनी, कोयल की कूक।
महका नभ-मंडल, खगखग की हूक॥
नंगे ढाक टेसू ने, किया टीम-टाम॥
बछड़े की कूद, गैया की पुकार।
चरखी से झरती, अमृत की धार॥
रहट का संगीत, चड़स की चक्-चक्।
चल पड़े किस्से, चौपाल की बैठक॥
बकरी की जुगाली, संध्या का सरगम॥
पश्चिम की लाली, डूब गया कण-कण॥
छबीली कामनिया, अलबेला कंत।
ऐसा प्रिय बावरा, गांव का बसंत॥

"उन्नीस सौ पिचत्तर में जब पहली बार 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी तब मैंने आपको जता दिया था कि आप चमत्कार की उम्मीद न करें। गरीबी दूर करने के लिए बस एक ही जादू है और वह है कड़ी मेहनत। इसके साथ ही उद्देश्य की स्पष्ट अनुभूति और अनुशासन का होना भी जरूरी है। खड़ी चढ़ाई वाली सड़क पर रुकने के लिए न तो समय है और न ही कोई स्थान है। हमारा आदर्श—राष्ट्रीय-वाक्य है—"सत्यमेव जयते" अर्थात् केवल सत्य की विजय होती है। हमें अपने दैनिक जीवन में एक और आदर्श वाक्य अपनाना चाहिए, "श्रम एव जयते"। सच्चाई और कड़ी मेहनत के प्रति निष्ठा ही सम्मान, प्रगति और खुशहाली का मूल सिद्धांत है।

हमारी अर्थ व्यवस्था आगे बढ़ रही है। अपने लाखों लोगों के बोझ को कम करने की दिशा में प्रगति बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। यह कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति का है और पूरे राष्ट्र का है जिसकी सेवा, विकास और निर्माण करना हमारा परम कर्त्तव्य है।"

—प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता

*

रामबिहारी विश्वकर्मा

हमारे देश के हर दस व्यक्ति में से 8 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं । हाल के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार, भारत में 5 लाख 80 हजार से अधिक गांव हैं और उनमें 52 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं तथा उन समस्याओं की ओर ध्यान देने से ही गांवों का पूरा विकास सम्भव है । गांवों में आवास, शिक्षा, सड़कें, संचार-व्यवस्था, स्वास्थ्य, बंधुआ मजदूर, बेगार तथा अस्पृश्यता आदि अनेक प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं । बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अभी भी देश के विभिन्न भागों में ऐसे गांव हैं जहां सड़कों की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं पहुंच पाई है तथा वे आधुनिक संचार साधनों से जुड़ नहीं सके हैं । अनेक गांवों में अभी भी स्कूलों की इमारतें तथा स्वास्थ्य केंद्र आदि नहीं हैं । देश के अधिकांश गांवों में पेय-जल की समुचित व्यवस्था नहीं हैं, ज्यादा-तर लोगों को कुएं, तालाब तथा नदियों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है । गांवों में स्वच्छता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है । गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था का प्रायः अभाव होता है । देहात में घरों में शौचालय की व्यवस्था अभी भी विलासिता की बात समझी जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किसान कम पढ़े-लिखे होते हैं जिससे उनका प्रायः शोषण होता रहता है। इन तमाम समस्याओं से ग्रस्त गांवों का विकास समुचित योजनाओं पर निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन से ही सम्भव है । गांवों को हर प्रकार से समुन्नत तथा 'विकास की इकाई' बनाने की आवश्यकता पर महात्मा गांधी ने सर्व-प्रथम जोर दिया था । हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 14 जनवरी, 1982 को एक प्रसारण में नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की । इसमें उन्होंने समग्र आर्थिक विकास के लिए जिस कार्यक्रम का आह्वान किया उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या बहुत गम्भीर है । राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय लगभग 1 करोड़ 65 लाख आवासीय इकाइयों की आव-श्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में 76 प्रति-शत से अधिक मकान अभी ऐसे हैं जिनमें केवल एक या दो कमरे ही होते हैं । भूमिहीन मजदूरों को मकान के लिए भूमि दिलाने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । 1 करोड़ 45 लाख भूमिहीन परिवारों में से 87 लाख 40 हजार परिवारों को मकान बनाने के लिए भूखण्ड दिए जा चुके हैं । नए बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 25 प्रतिशत भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूखण्ड और उसके निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है । कई राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने का कार्य-क्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया है ।

देश के 2.30 लाख से अधिक पेय-जल समस्या वाले गांवों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की पूर्ति हेतु, समन्वित विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास भूखण्ड, पेय जल की समस्या वाले गांवों में जल की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तथा विद्युतीकरण तथा प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के सफल कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में नौकरियों आदि के लिए लोगों का जाना भी कम हो जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के परि-णामस्वरूप अनेक गांवों की काया पलट हो गई है । गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं । बिजली मिलने से कई लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है । 1947 में बिजली-चालित पम्प सेटों की संख्या केवल 6 हजार थी परन्तु 1981 के अन्त तक ऐसे पम्प सेटों की संख्या 45

लाख से ज्यादा हो गई । इसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने लगी । 1947 में केवल 1500 गांवों में बिजली पहुंच पाई थी परन्तु पिछले वर्ष के अन्त तक 2 लाख 82 हजार से अधिक गांवों में अर्थात् देश के लगभग 50 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई। गांवों में बिजली पहुंचाने तथा इस कार्य में प्रगति लाने के लिए 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई । निगम ने देश के 378 जिलों में से 370 जिलों में अपना कार्यक्रम चला रखा है । वर्तमान वर्ष के दौरान 25 हजार और गांवों में बिजली पहुंचा देने का लक्ष्य है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1 लाख और गांवों में तथा 25 लाख और पम्प सेटों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सभी राज्यों में इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है । आशा है, अगले 12 वर्षों के अन्दर देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की गति तेज करने हेतु इस वर्ष 'राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक' की स्थापना की गई है । यह बैंक किसानों और दस्तकारों के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग-धंधों तथा हस्तशिल्पों आदि के उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है । इस बैंक के लिए अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी (paid capital) 100 करोड़ रुपये है । चुकता पूंजी केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बराबर-बराबर दी है । यह बैंक फसलों की खरीद-बिक्री आदि के लिए भी ऋण देगा । बैंक से तीन प्रकार के ऋण मिलते हैं— अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घ अवधि के ऋण । देश भर में इस बैंक के 16 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं । इस बैंक से ग्रामीण विकास की गति और तेज हो जाने की सम्भावना है । इससे गांवों के दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की समस्या अभी पूर्ण रूप से हल नहीं की जा सकी है । अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो साहूकारों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सके हैं तथा उन्हें 'बेगार' अथवा मुफ्त श्रम दान करना पड़ता है। हालांकि स्वतंत्र भारत के संविधान में 'बेगार' का निषेध किया गया है और 1975 में बंधक मजदूर प्रथा–उन्मूलन अध्यादेश लागू किया गया था जिसे 1976 में कानून का रूप दे दिया गया। परन्तु इन वैधानिक उपायों के बावजूद 1975–76 में बंधक मजदूरों की संख्या (सरकारी तौर पर) 1.12 लाख थी परन्तु इस समय बंधुआ मजदूरों के बारे में जो आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं, उसके अनुसार, इनकी संख्या 1,44,930 है अर्थात पिछले दिनों में 32,000 और बंधुआ मजदूरों का पता लगा है । इनमें से 84,269 बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाया जा चुका है । शेष 60,661 को अभी बसाया जाना है । प्रधानमंत्री के नए बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। लेकिन बंधुआ मजदूरों को केवल साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए अन्यत्र ले जाकर बसाना आवश्यक है । उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1982 में 'परियोजना श्रमिक' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं । परन्तु इस कार्यक्रम के लिए ऐसे निष्ठावान् व्यक्तियों की आवश्यकता है जो दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं । इन बंधक मजदूरों के जीवन में स्थायित्व लाने के लिए थोड़ी बहुत जमीन भी आबंटित की जानी चाहिए । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास उपयोजना तथा अनुसूचित जाति विकास विशेष योजना आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें कुछ न कुछ रोजगार के अवसर अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए ।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि हाल ही में मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की ओर वे विशेष ध्यान दें । इसके लिए केन्द्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-विभागीय दल बनाया गया है जो इस कार्य की प्रगति की समीक्षा करता है । बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए इस वर्ष 2.50 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं । 1980–81 में 19,300 बंधक मजदूरों के पुनर्वास पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए । 1982–83 में 32,794 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है । उत्तर प्रदेश में 4,249, कर्नाटक में 12,154, आन्ध्र प्रदेश में 5,416, उड़ीसा में 7,500, तमिलनाडु में 312, केरल में 382, राजस्थान में 200 तथा बिहार में 2,582 बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाने के लिए निर्देश दिए गए हैं । इसके साथ ही बंधुवा मजदूरों का पता लगाने के लिए जोरदार प्रयास भी चलाए जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की समस्या भी कम गम्भीर नहीं कही जा सकती । 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 5.4 करोड़ थी । इस प्रकार 1971 की तुलना में इनकी संख्या में 13.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों को संगठन एवं जागरूकता की कमी के कारण विभिन्न वैधानिक उपायों का यथोचित लाभ नहीं मिल पाता । केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों एवं मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने की योजना तैयार की है । इन पर अमल करने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी अपितु गरीबी को दूर करने में भी काफी अंशों में सफलता मिलेगी । इस समय देश के 5011 विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्यक्रम के लिए 1500

[शेष पृष्ठ 11 पर]

समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

डा० सुदामा सिंह एवं अभय कुमार

भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग कि० मी० है। 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 68.4 करोड़ है। 77.8 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत में कुल गांवों की संख्या लगभग 5.76 लाख है। शहरों और नगरों की कुल संख्या 2550 है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत के राष्ट्रीय आयोजन में ग्रामीण विकास को प्रमुख स्थान दिया गया। सर्वप्रथम मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की गयीं, फिर पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के साथ सामुदायिक विकास का विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया। बाद में विभागीय और क्षेत्रीय आयोजना पर जोर दिया जाने लगा और सघन कृषि कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग परियोजना, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम आदि प्रारम्भ किए गए।

लेकिन इन कार्यक्रमों के अनुभव प्राप्त हुए और यह महसूस किया गया कि इन कार्यक्रमों का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह सका जिनके पास भूमि संसाधन मौजद हैं। अतएव लघु व सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों जैसे लक्षित समूहों के लिए कार्यक्रम बनाए गए और लघु किसान विकास अभिकरण एवं सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूरी विकास अभिकरण का गठन किया गया।

यह तो सवविदित है कि अभी हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात भारत के सुनियोजित विकास की पांच पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और छठवीं चल रही है लेकिन इस योजनाबद्ध आर्थिक प्रक्रिया के बावजूद अभी आर्थिक विकास के इस बिन्दू तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी आशा योजना के प्रारम्भ में की गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय आय, कृषि पैदावार, तथा औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन आर्थिक विषमताएं बढ़ती ही चली गई और आज हालत यह है कि देश की 31 करोड़ जनसंख्या "गरीबी की रेखा" से भी नीचे है। यह 48 प्रतिशत है। निर्धनता की रेखा की गणना का आधार ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 820 रु० वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों के मामले में 900 रुपये वार्षिक की न्यूनतम आय रखी गई है। ग्रामीण व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या केवल बेरोजगार ही नहीं है बल्कि उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके पास पूरे दिन का रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास की समस्या और भी अधिक जटिल और दुष्कर बन जाती है। इस स्थिति को सुधारने हेतु ग्रामीण गरीबों के लिए चलाए गए अनेक कार्यक्रमों एवं अभिकरणों की जगह देश भर में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

2 अक्तूबर 1980 को मौजूदा समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और इसमें पहले से लघु किसान विकास अभिकरण कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों को समाहित किया गया। उन्हें देश के सभी 5,011 प्रखण्डों में क्रियान्वित किया गया। एक प्रखण्ड के लगभग 20,000 परिवारों में 10,000 से 12,000 के आसपास परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। छठी योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में औसतन 3,000 ऐसे परिवारों को लाभप्रद सहायता देने का प्रस्ताव है जो ग्रामीण गरीबों से सबसे निचले स्तर के हों। ऐसा माना गया है कि इन 3,000 परिवारों में से 2,000

परिवारों को इस क्षेत्र की कृषि तथा तत्सम्बन्धित अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत लाया जाएगा और 900 को कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में तथा शेष 500 को सेवा क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस प्रकार इस कार्यक्रम को 7.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जायगा जोकि आबादी का 13 प्रतिशत होगा। इस पर योजना में 1,500 करोड़ रु० का विनियोग किया जाएगा। इसके अलावा 3,000 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय संस्थागत वित्त से होगा। अनुमान लगाया गया है कि इस विनियोग से 3,000 करोड़ रु० वार्षिक आय का सृजन होगा और छठी योजना के अन्त में 6.1 करोड़ यानी कुल जनसंख्या के 11 प्रतिशत ग्रामवासी गरीबी रेखा से ऊपर आ सकेंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह मानकर चला जाता है कि उसमें ग्रामीण जनता के समस्त विभिन्न समस्याओं से जुड़े हुए कार्यक्रम शामिल हैं। क्या वे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है? जनता का सहयोजन और विकेन्द्रीकरण ग्राम्य विकास के लक्ष्य प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। अभी तक विकेन्द्रीकरण अधिक प्रभावशाली नहीं रहा है। विभिन्न संगठनों के लिए बहुत सारे कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं किन्तु उन्हें उपलब्ध कराए गए साधन बहुत सीमित हैं? विकेन्द्रीकृत संगठनों अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का वास्तविक प्रत्यायोजन प्रायः नहीं किया गया है। प्रशासनिक ढांचा बहुत ही शक्तिशाली है और इस कारण कार्यक्रमों को कार्यरूप देते समय जनता के सहयोजन की बात कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। इस प्रकार जनता के सहयोजन, विकेन्द्रीकरण और अधिकारों के प्रत्यायोजन की बातों में और वास्तविक व्यवहार में कोई संगति नहीं है।

समन्वित ग्रामीण विकास की समस्या जटिल ही नहीं, बहुत विशाल भी है जिससे निपटने के लिए ग्रामीण जनता को पूरी तरह साथ देखते हुए व्यापक प्रयास करने होंगे। इस कार्य में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक सहायता भी आवश्यक होगी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा वित्तीय और सहकारी संस्थाओं सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा जिससे इस दिशा में बेहतर परिणाम सामने आ सकें।

इस कार्यक्रम की एक धारणा है, सबसे अधिक गरीब को पहचानना। वास्तव में प्रशासकों पर ग्रामीण क्षेत्र के खुशहाल और प्रभावशाली वर्गों की ओर से हमेशा यह दबाव रहेगा कि इस कार्यक्रम का लाभ उनको मिले। दूसरी धारणा कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले विनियोग और राज्य योजना के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में किए जाने वाले विनियोग की प्रभावशालिता से संबंधित है जिसका दूरगामी प्रभाव कार्यक्रम पर पड़ना स्वाभाविक ही है।

स्वरोजगार क्षेत्र का विकास इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निर्णायक है। लेकिन संगठित उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के शहरी झुकाव के कारण स्वरोजगार आज पहले ही अधिक विषम परिस्थिति में है।

कैसी टैक्नोलोजी-?

योजना निर्माण की दृष्टि से एक केन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है, पर दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण के प्रति एक भावनात्मक वचनबद्धता बनी रहती है। यहां तक कि टैक्नोलोजी के सम्बन्ध में भी भ्रम रहता है। एक ओर तो माध्यमिक अथवा अनुक्रम टैक्नोलोजी की बात कही जाती है जबकि दूसरी ओर अत्यन्त जटिल टैक्नोलोजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कभी-कभी आदर्श टेक्नोलोजी का सा आदर दिया जाता है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार की टैक्नोलोजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार की टैक्नोलोजी का प्रयोग किया जाना चाहिए? इस सम्बन्ध में कुछ दृढ़ निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

गांधीवादी विचारधारा

समन्वित ग्रामीण विकास के लिये गांधीवादी विचारधारा संभवतः सर्वाधिक अनुकूल कही जा सकती है। लेकिन ग्राम्य विकास सम्बन्धी गांधीवादी दर्शन में त्याग का सिद्धान्त इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित रह गया। ग्राम्य लोकतन्त्र का सिद्धान्त, जिसके अधीन ग्रामवासी अपनी समस्याओं का समाधान और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने, सीमित मांगों की धारणा पर दिया हुआ था। इसीलिए हम बुनियादी शिक्षा और अन्त्योदय कार्यक्रम जैसी आदर्श योजनाओं के प्रति ऊपरी सहानुभूति दिखा सकते हैं तथापि सर्वोदय के साथ इसका मेल बिठाना दुष्कर लगता है।

हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया भी समस्या पूर्ण है। एक उदाहरण लीजिए—बैंक अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वे ऋणों की कितनी वसूली कर पाते हैं? मूल्यांकन के इस आधार का ग्रामीण विकास के साथ तनिक भी मेल नहीं बैठता क्योंकि ऋणों की वसूली का आशय ग्रामीण विकास से नहीं होता। इसी प्रकार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी अन्तिम लक्ष्यों का नहीं बल्कि मध्यवर्ती लक्ष्यों का ही मूल्यांकन करता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सन्दर्भ में लक्ष्य निर्धारण से लेकर योजना निर्माण और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं के बीच भी असंगति दीखती है। इन प्रक्रियाओं के बीच संगति लाए बिना यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इस कार्यक्रम का लाभ समाज के निम्नतम स्तर तक पहुंच सकेगा?

अब तक ग्रामीण विकास के शासनतन्त्र का जो रुख रहा है, वह यह प्रदर्शित करने का प्रयास ही कहा जा सकता है है कि मानो ग्रामीण विकास के लिए रकम निर्धारित करना उसकी कृपा दृष्टि का प्रमाण है। धनराशि की स्वीकृति की घोषणा का अत्यधिक प्रचार तो होता है, किन्तु उसका सदुपयोग नहीं हो पाता।

हाल ही में यह बात उठायी गई कि 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों द्वारा और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए। शायद इस व्यवस्था के कारण भी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वित्तीय जरूरतों पर काफी ध्यान दिया गया है, किन्तु कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को सिर्फ वित्तीय समस्याओं का ही सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी मुख्य समस्याएं कच्चे माल, विपणन, टैक्नोलोजी के उच्च स्तर संगठन तथा साख है। अगर हम केवल साख समस्या का समाधान करते हैं तो इससे समस्या को छूना मात्र समझा जाएगा। इस तरह के उप्रान्तीय उपागम से समस्या का पूरा हल नहीं मिलेगा।

जैसा कि अक्सर कहा गया है कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों जैसे पशु पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, सड़क निर्माण, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वच्छता, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण मनोरंजन और पेयजल आदि पर जोर देने की जरूरत है। तभी सम्पूर्ण ग्रामीण विकास होगा और ग्रामीण विकास कार्यक्रम से स्वतः रोजगार का सृजन होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक गरीबी की समस्या हल नहीं होगी। अतएव नए उपागम का उद्देश्य किसी क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए जिससे मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं पर जोर दिया जाए और रोजगार को इन प्रयासों का परिणाम माना जाए। दुर्भाग्य से इसमें बाधाएं डाली जा रही हैं।

अनेक सीमाओं तथा कमजोरियों के बावजूद इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों की दयनीय दशा में सुधार लाने की संभावना है। परन्तु अभी भी इस बात को महसूस नहीं किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का मामला है। इसके लिए मानसिक क्रान्ति की आवश्यकता है। यदि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन अच्छी प्रकार किया जाए तो देश अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। □

डा० सुदामा सिंह
रीडर अर्थशास्त्र विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उ० प्र०

एवम्

अभय कुमार,
प्रवक्ता अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
लैंस डाउन, गढ़वाल, उ० प्र०

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर . . . . . . [पृष्ठ 8 का शेषांश]

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि देश के हर विकास खंड में कम से कम 600 परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाया जाए। इसके लिए आवश्यक अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन लोगों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है उनमें कम से कम तीस प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के होंगे। 1981–82 में केंद्र और राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 986 करोड़ रुपये की रियायती सहायता दी गई जबकि 1980–81 में यह धनराशि 199 करोड़ रुपये थी। 1981–82 की अवधि में लगभग तीन करोड़ परिवारों को सहायता दी गई।

जन सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक कृषि, तकनीकों, उर्वरकों एवं बीजों, फसल चक्र, उत्पादनों के क्रय-विक्रय आदि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी आय बढ़ाने के विभिन्न तरीकों—मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, दस्तकारी आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसानों और खेतिहर मजदूरों को उनके दायित्वों एवं अधिकारों का बोध कराना चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं; अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों आदि को दूर करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष जोर दिया जाना चाहिए तभी ग्रामीण विकास का अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। स्थानीय संस्थाओं (पंचायत आदि) और स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण-विकास कार्यों में भली-भांति सम्मिलित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि के बारे में यथासम्भव पर्याप्त जानकारी दी जनी चाहिए तभी समग्र ग्रामीण विकास का स्वप्न साकार हो सकेगा। □

एस–605, नेहरु एन्क्लेव,
स्कूल ब्लाक, शकरपुर,
दिल्ली-92

हरेक के लिए एक घर

एम० के० मुखर्जी

निःसंदेह घर एक आधारभूत आवश्यकता है। यह समस्या बहुत बड़ी है और लोगों के आवास की परिस्थितियां, विशेषकर गरीब लोगों की, चिन्ता का कारण बनी हुई हैं। विकासशील देशों में अधिकाधिक लोग काम की तलाश में शहर की ओर दौड़ रहे हैं। बढ़ती निर्माण लागत और शहरी विकास की वजह से आवासीय मकानों के निर्माण के लिए विकसित जमीन की बहुत कमी हो गई। अतः यह समस्या और विकट हो गई है। इसलिए हरेक के लिए एक मकान मुहैया कराने के लिए एक लम्बे समय तक व्यापक और सतत् प्रयास करने होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन या मकान न होने से भी बड़ी समस्या यह है कि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी है और ग्रामीण शहरी प्रवासियों के कारण शहरों में अनियमित बस्तियों और गंदी बस्तियों की भरमार हो जाती है। गांव से शहरों में आने वालों में अधिकतर व्यक्ति किसी भी किस्म का आवास बनाने की स्थिति में नहीं है। इस वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी कारण इसके बारे में हमें पहले सोचना है।

ऐसा अनुमान है कि शहरी आबादी का एक चौथाई भाग गन्दी और अनियमित बस्तियों में रहता है। इनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। कमजोर वर्ग का अर्थ है कि एक परिवार की प्रतिमाह आय 350 रुपये से भी कम है और यह वर्ग अपनी आय का 15 प्रतिशत से अधिक भाग आवास पर व्यय नहीं कर सकता। भारत में गंदी बस्तियों में रह रहे परिवार औसतन प्रतिमाह 17.50 रुपये ही आवास पर व्यय कर सकते हैं। परन्तु आवास सुविधा को नगर की आधारभूत सुविधाओं और अन्य सेवाओं से पृथक् नहीं किया जा सकता। इस समस्या के समाधान के लिए हमें सावधानी पूर्वक सभी विकल्पों पर विचार कर ऐसा मार्ग चुनना होगा जिसमें व्यय कम हो भले ही इसके लिए सेवाओं के स्तर में कुछ कमी क्यों न करनी पड़े।

मकान की कमी

भारत में अनुमानतः लगभग 2.07 करोड़--गांवों में 1.61 करोड़ और शहरों में 46 लाख मकानों की कमी है। यह केवल एक मोटा सा अनुमान है जिसमें कच्चे और आधे पक्के मकानों को, जिनमें हमारी काफी जनसंख्या वास करती है, शामिल नहीं किया गया है। इन आंकड़ों से हमारे देश में मकानों कि कमी का अनुमान लगाया जा सकता है।

विभिन्न आय वर्गों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मकानों की कमी सबसे अधिक है परन्तु मध्यम आय वर्ग के लिए भी यह कमी बहुत अधिक है। जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय 350 रुपये तक है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, और 600 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवार निम्न आय वर्ग में आते हैं। मध्यम आय वर्ग में 1500 रुपये प्रतिमाह वाले परिवार और उच्च आय वर्ग में 1500 रुपये प्रतिमाह से अधिक आमदनी वाले परिवार आते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में परिचालित आवास विकास योजनाओं का लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के साथ-साथ कुछ हद तक मध्यम आय वर्ग को आवास सुविधाएं मुहैया कराना है। इस संदर्भ में आवास और शहरी विकास निगम ने कुल धन राशि का 55 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के तथा लगभग 25 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिए दिया है।

ग्रामीण आवासीय योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में प्रत्येक भूमिहीन परिवार को विकसित आवासीय भू-खण्ड प्रदान करना। वर्ष 1985 तक ऐसे परिवारों की कुल संख्या 1.45 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ग्रामीण भूमिहीनों को आवासीय भूखण्ड देने की योजना 1970 में शुरु की गई थी। छठी योजना के शुरु होने से पहले 77 लाख परिवारों को भूखण्ड दिये जा चुके हैं। इस योजना में शेष 68 लाख भूमिहीन लोगों को भू-खण्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य योजनाओं में भू-खण्डों और निर्माण सहायता के लिए लगभग 354 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य क्षेत्र की योजना में छठी योजना में सामाजिक आवासीय योजना के लिए 837.37 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

गन्दी बस्तियां

गंदी बस्तियों में स्वच्छ पानी की सप्लाई, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था और कच्चे शौचालयों के स्थान पर पक्के और फ्लश के शौचालय बनाने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस कार्य क्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में सुधार लाना और जन स्वास्थ्य तथा सफाई की ओर ध्यान केन्द्रित करना है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गंदी बस्तियों की स्थिति बड़ी खराब है परन्तु बड़े पैमाने पर पुनर्वास कार्यक्रम की बजाय उनमें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके मौजूदा मकानों को और अधिक रहने योग्य बनाना अधिक व्यवहार्य विकल्प है।

भारत सरकार, छोटे और मझोले नगरों के विकास के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देता है ताकि

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में आवास, भू-खण्ड और सेवा योजनाएं शुरु की जा सकें। इन योजनाओं में राज्य सरकार समुचित भूमि का पता लगाती है और उपलब्ध कराती है।

विश्व में आवासीय सुविधाएं

आइये ! अब हम आवास के सदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक दृष्टि डालें। सब मिलाकर विश्व में समुचित आवास सुविधा मुहैया कराने की ओर जो ध्यान दिया गया है वह अपर्याप्त है।

इस क्षेत्र में आवास और आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिनकी वजह से इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में रुचि पैदा हुई है। पहला सम्मेलन 1976 में "वैनकोवर हेबिटेट सम्मेलन" और दूसरा 1977 में "मार-डेल प्लाटा जल सम्मेलन" हुए। वैनकोवर प्रस्ताव में पहली बार मानवीय बस्तियों को अन्य कार्यकलापों से अलग एक नए विषय के रूप में शामिल किया गया और इसमें पहली बार मानव आवास विकास कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई। मार-डेल प्लाटा प्रस्ताव में 1981 से 1990 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति दशक मनाने का निर्णय किया गया था। ये दोनों निर्णय महत्वपूर्ण हैं और इन कार्यक्रमों के विस्तृत कार्यान्यवन का आह्वान करते हैं।

जहां तक मानव आवास का संबंध है ऐतिहासिक वैनकोवर घोषणा के बाद मनीला में 1981 में एक महत्वपूर्ण "मनीला विज्ञप्ति" जारी की गई जिसमें निर्धन लोगों के आवास की विषम स्थितियों पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई थी और उसमें सभी देशों से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सापेक्षिक कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया। मानव आवास सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 36वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें वर्ष 1987 को "बेघरों के आवास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष" मनाने की घोषणा की गई।

वास्तव में यह घोषणा मात्र नारे से कहीं अधिक सार्थक है। इसमें अपर्याप्त आवास पर सर्वव्यापी चिन्ता का आभास मिलता है और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने में लगी हैं। यह लक्ष्य महत्वकांक्षी है। इसमें वर्ष 2000 तक सभी निर्धनों को आवास सुविधा प्रदान करने और निकटवर्ती क्षेत्रों में बसाने की घोषणा की गई है।

हमारी नीति

भारत उन कुछ देशों में से एक है जो कुछ वर्ष से इन सिद्धांतों पर अपने आंतरिक आवास सुविधा कार्यक्रम को कार्यरूप देने में लगे हैं। भारत की राष्ट्रीय योजना नीति सीधे गरीबी को दूर करने के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे यहां लोगों के रहन-सहन में सुधार लाने के कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया गया है। बहु-सूत्री न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधिकांश सूत्र नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं :— ग्रामीण आवासीय भू-खण्ड, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों में सड़कें बनाने, ग्रामीण जल आपूर्ति और शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में सुधार तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। छठी योजना के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण भूमिहीनों को आवासीय भूखण्ड मिलें तथा सभी 2.31 लाख समस्या ग्रस्त गांवों और गन्दी बस्तियों के सुधार कार्यक्रमों के जरिए वहां के एक करोड़ निवासियों के लिए स्वच्छ जल आपूर्ति का कम से कम कोई एक स्रोत अवश्य उपलब्ध हो।

भारत जैसे आकार के देश के लिए ये समस्याएं बहुत बड़ी और जटिल हैं। अतः यह काम आसान नहीं है। यद्यपि विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि योजनाएं ठीक ढंग से चल रही हैं। लेकिन इस पर संतोष नहीं किया जा सकता। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लम्बे समय तक और सतत् प्रयास करने होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा हमें अपने लक्ष्य के प्रति पुनः समर्थन की प्रेरणा देगी। □

विकास में अधिक निवेश आवश्यक

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री बालेश्वर राम ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहकारी समितियों द्वारा अधिक निवेश करने और इन कार्यक्रमों में शामिल लोगों से अधिक ऋण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं उन्होंने सहकारी समितियों का आह्वान किया कि वे नियोजित और क्रियान्वयन स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के बारे में कदम उठाएं।

सहकारिता के माध्यम से समन्वित ग्रामीण विकास के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री बालेश्वर राम ने कहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण जुटाने के कार्य में सहकारिता के अंश में जो कमी आई है उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

भूतपूर्व मंत्री महोदय ने कहा कि इस देश में लगभग तीन लाख सहकारी समितियां हैं और 12 करोड़ से अधिक लोग इसके सदस्य हैं। इन सहकारी समितियों के पास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध है और इनके पास संसाधन हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग पर्याप्त रूप से हिस्सा लेते हैं।

सहकारी समितियों की गतिविधियों के विस्तार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि सदस्य बनाने तथा वित्तीय सहायता देने संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की आवश्यकता है।

ऊर्जा की उजली रेखाएं

※ रमेशदत्त शर्मा

राजस्थान के मरुस्थली जिले जैसलमेर के समगांव में दिया-बाती के बाद लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ही पहुंच पाई थी। आज यहां रात में भी उजाला करता है सूरज। आदिवासी भीलों के लिए प्रसिद्ध बांसवाड़ा जिले की सढी पंचायत के "नया तालाब" गांव में उस दिन और एक चमत्कार हुआ। यहां के एक आदिवासी देवजी भाई की बहू को एक दिन लकड़ियां बटोरने जंगल की खाक नहीं छाननी पड़ी। न चूल्हा फूंकते-फूंकते उसका दम फूला और न कड़ुएं धुंए से उसकी आंख गीली हुई। यहीं नहीं, पहली बार उस घर में रोशनी के लिए लैम्प जलाया गया। मध्य प्रदेश में खण्डवा जिले के सिरी गांव के किसान श्यामलाल के खेत में पानी अब सूरज भरता है, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला पम्प।

ये तीन गांव तो केवल झलक देते हैं, उस ऊर्जा-क्रांति की, जिसके नए दौर से हमारा विशाल देश आज गुजर रहा है। बांसवाड़ा जिले के "नया तालाब" गांव में देवजी भाई के घर लगायी गयी है गोबर गैस। इससे तीन घंटे चूल्हा जलता है और रात में लैम्प से रोशनी मिलती है। उधर जैसलमेर के समगांव में दिन भर की धूप की ताकत बटोर कर बंद कर दी गई है, उन बैटरियों में जिनसे रात को आठ ट्यूब जलाकर गांव में उजाला किया जाता है। सूरज की ओर मुंह करके लगाई गई 20 चमकदार प्लेटों से सूर्य-किरणों को संकेन्द्रित करके प्लेटों से जुड़ी बैटरियां "चार्ज" की जाती हैं।

सूर्य नारायण सचमुच ऊर्जा के देवता हैं। उन्हीं की धूप ने करोड़ों वर्ष पहले धरती के जंगलों में वह ऊर्जा भरी थी, जो उनके जीवाश्मों से बने कोयले, गैस, पैट्रोल और कच्चे खनिज तेल के शोधन से प्राप्त मिट्टी के तेल के रूप में हमारे जीवन को गति देती है। गति के बिना प्रगति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रगतिशील भारत का चक्का निरन्तर चलता रहे, इसके लिए प्रति वर्ष हमें एक करोड़, 45 लाख टन कच्चा खनिज तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारे देश में भी आशा की जाती है कि एक करोड़ 60 लाख टन खनिज तेल पैदा होने लगेगा। बिडम्बना देखिए कि इस तेल के बालू में से निकलने की ज्यादा संभावना है। हाल में ही राजस्थान के तीन रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ के थार मरुस्थल की बालू में 50 करोड़ रुपये की लागत से तेल के लिए खुदाई का अभियान प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त, 35 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाएंगे, ताकि तेल वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

सन् 1982 का वर्ष जाते-जाते गोदावरी घाटी में खनिज तेल और गैस का एक नया खजाना सौंपा गया है। केन्द्रीय ऊर्जा तथा पैट्रोलियम मंत्री, श्री शिवशंकर जी ने बताया कि चार हजार मीटर की गहराई पर तेल मिलने का अनुमान था, जबकि दो हजार मीटर पर ही मिल गया। "गोदावरी-कृष्णा क्षेत्र में यह तेल का दूसरा कुंआ है। पहला कुंआ सितम्बर 1980 में मिला था। इस प्रायोजन पर छठी योजना में निर्धारित 570 करोड़ रुपये की राशि सन् 1984-85 तक खर्च हो लेगी। इस क्षेत्र में कुल 28 जगह खुदाई करने की योजना है। जब सन् 1982 में असम में डिब्रूगढ़ से माफ़ोरीक तक रेलवे लाइन बिछाते समय दिगबोई में तेल बहता मिला था और सितम्बर, 1889 में खुदाई शुरु करके नवम्बर 1889 में 662 फुट की गहराई पर तेल खोजा गया था, तब से "बोम्बे हाई" और अब गोदाबरी घाटी तक भारत की तेल सम्पदा का क्षेत्र लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

गांव-गांव फैलता उजाला

बिजली पैदा करने की दिशा में भी गया वर्ष नई रोशनी दे गया है। नवम्बर 1982 तक 16,293 नए गांवों में बिजली पहुंचाई गई। इस तरह कुल 5 लाख 76 हजार गांवों में से 3 लाख एक हजार से अधिक गांव अब नई रोशनी से जगमगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 71 प्रतिशत जनसंख्या अब दिया बाती छोड़कर विद्युत् युग में प्रवेश कर गई है। इस वर्ष बिजली से चलने वाले सिंचाई के पम्प सैटों में 2 लाख 22 हजार 627 और जोड़कर देश भर में इनकी संख्या बढ़ाकर 47 लाख 70 हजार कर दी गई। ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री विक्रम महाजन ने घोषणा की है कि 11 अरब रुपये की लागत से सन् 1995 तक भारत का कोना-कोना ज्योतिमय हो उठेगा। पूरे देश की 77 प्रतिशत आबादी के हिस्से में रोशनी पहुंचा दी गई है और जनवरी से नवम्बर 1982 तक की अवधि में 118 अरब 30 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई, जो इसी अवधि में सन् 1981 के दौरान पैदा की गई बिजली से 7 प्रतिशत अधिक है।

गुजरात में काकड़ापारा के पास एक गांव है, मोतीघेर। यहां ऊर्जा की उजली रेखाओं का सूत्रपात अत्याधुनिक ढंग से हो रहा है, क्योंकि यहां बन रहा है, देश का पांचवा परमाणु केन्द्र। 235-235 मेगावाट की चार परमाणु भट्टियां बननी हैं, जिनमें से दो पर काम शुरु हो चुका है। इस योजना पर 382 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च होंगे। उधर उत्तर प्रदेशों में गंगा के किनारे नरौरा में बन रहे परमाणु बिजली घर में भी 235 मेगावाट की दो और इकाइयां जोड़ी जाएंगी। इन परमाणु बिजली घरों के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को हैदराबाद परमाणु ईंधन केन्द्र में संसोधित करके काम में लाया जाएगा। दूसरी पीढ़ी की परमाणु भट्टियों के लिए प्लूटोनियम ईंधन तैयार करने का एक कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग ने 9 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से शुरु किया है।

ऊर्जा का एक और बड़ा स्रोत है गोबर। हर साल अगर 66 प्रतिशत गोबर भी इकट्ठा किया जा सके तो साढ़े सत्तावन करोड़ टन गोबर प्राप्त किया जा सकता है। इस गोबर से 22 अरब 40 करोड़ घन मीटर गैस बन

सकता है, जो हर साल 140 लाख किलो लीटर मिट्टी के तेल के बराबर ऊर्जा प्रदान करेगी। यही नहीं, इससे 20 करोड़ टन खाद भी मिलेगी। अभी इस गोबर धन को अधिकांश उपले बनाकर फूंक दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में खांसी और दमे की अधिक शिकायत भी चूल्हों में जलते गोबर से निकले धुएं से जोड़ी गई है। हाल में ही पांडिचेरी के जवाहर लाल चिकित्सा संस्थान के वैज्ञानिकों ने चूहों को 20 मिनट तक इस धुएं में रखकर पाला। साठ दिन में ही वे खांसी और दमे से पीड़ित हो गए। 40 मिनट तक धुंए में रहने पर रोग का आक्रमण तीव्र हो गया।

ग्रामीण महिलाओं को इस जहरीले धुएं से बचाने और नाइट्रोजन युक्त खाद के स्रोत की बरबादी रोकने के लिए छठी योजना में पूरे देश में 10 लाख गोबर गैस संयंत्र लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। असल में अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ गोबर गैस संयंत्र लगाए जा सकते हैं। पांच व्यक्तियों के परिवार का काम हर रोज 50 घन फुट गैस से चल सकता है। एक सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र 3,000 घन फुट गैस प्रतिदिन पैदा कर सकता है, जिससे 60 परिवारों की ईंधन की जरूरत पूरी हो सकती है। अब इसे गोबर की बजाय "बायोगैस" कहा जा रहा है, क्योंकि गोबर ही नहीं खेत खलिहान के कचरे, खरपतवार, यहां तक कि जलकुंभी जैसी जलीय वनस्पति से भी गैस पैदा की जा सकती है। इन संयंत्रों की डिजाइनों में बराबर सुधार किया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल है "एक्शन फोर फूड प्रोडक्शन" संस्था के निदेशक श्री जे० बी० सिंह की प्रेरणा और सहायता से दिल्ली के आई० आई० टी० द्वारा बनाई गई डिजाइन, जो इटावा के अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित "जनता संयंत्र" से भी बढ़कर बताई गई है। ग्रामीणों को बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। जैसे कि बांसवाड़ा के "नया तालाब" गांव के देवजी भाई को 2 हजार नौ सौ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई और इस तरह 5,000 रुपये की लागत से गोबर गैस संयंत्र लगाया गया।

अगली सदी सौर ऊर्जा की

ऊर्जा के इन तमाम साधनों की समीक्षा करें तो कोयला और पैट्रोल दोनों ही जलने पर जहरीला धुआं देते हैं। परमाणु बिजली की भी दुनिया भर में परमाणु विरोधी विद्वान आग से खेलना बताते हैं। लकड़ी जलाने का चलन तो वैसे भी आधे से ज्यादा जंगलों को चूल्हे में झोंक चुका है। कोयला, पैट्रोल और लकड़ी ये तीनों ही प्राकृतिक भंडार चुकते जा रहे हैं। इसलिए हम ऊर्जा के उन स्रोतों की शरण ले रहे हैं, जिनका नवीकरण होता रहे। गोबर गैस के अलावा हम तेज हवाओं की ताकत, चट्टानों पर पछाड़ खाती समुद्री लहरों के जोश और धरती के कलेजे में छुपी कर्मी को भी बिजली में बदलने के सफल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में सारा विश्व आज सूर्योन्मुख हो गया और इक्कीसवीं सदी को सौर ऊर्जा की सदी बताया जा रहा है।

भारत सौर-ऊर्जा के युग में 1950 से 1960 के दशाब्द के आरम्भ में ही प्रवेश कर चुका था। सन् 1961 में जब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार के लिए रोम में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो वहां आए प्रतिनिधियों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, उस सौर चूल्हे ने जिस पर रखी केतली में पानी उबाल कर एक भारतीय युवती चाय बना रही थी यह सौर चूल्हा दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में बनाया गया था। काले रोगन पुती धातु की चादर सूरज की 95 प्रतिशत धूप सोख सकती है। इस आधार पर आलू भूनने से लेकर, दाल-चावल और सब्जी तैयार करने के चूल्हों से लेकर, खारे समुद्री पानी को मीठा बनाने के संयंत्र तक तमाम तरह के उपकरण बनाये जा चुके हैं। सबसे अधिक संभावना है सूरज की रोशनी को सोखकर बिजली में बदलने वाले सैलों से। ये सोलर सैल सिंचाई का पम्प चला सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। मार्च 1981 में अतिरिक्त ऊर्जा साधन आयोग बनाया गया था, जो अब भरे-पूरे विभाग के रूप में ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इस वष (1982-83) के बजट में इसके लिए 13 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है। हर जिले में एक गांव में सौर ऊर्जा सहित सभी नए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ऐसा ही एक गांव है कर्नाटक के मेढक क्षेत्र में—सलोर्जीपल्ली। 71 घर और 424 व्यक्तियों का यह गांव हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर है। यहां सोलर सैल के अतिरिक्त सौर ऊर्जा से तापीय बिजली पैदा की जा रही है। रोशनी, कुटीर उद्योग और खेतीबाड़ी के साथ ही अब सौर ऊर्जा यहां मनोरंजन का भी साधन बन गई है। गांव का पंचायती टी० वी० सैट सौर ऊर्जा से ही चलता है। मध्य प्रदेश के सिर्री गांव में सिंचाई पम्प के लिए बिजली मिलती है 36 सैल वाले सोलर पैनल से, जिसे बनाया है साहिबाबाद स्थित सट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि० ने। यह सौर पम्प 810 घंटे में आधा एकड़ खेत की सिंचाई कर देता है। सन् 1982 में देशी जानकारी से देशी उपकरण बनाकर इस संस्थान ने ढाई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई है। एक सोलर बैटरी बनाई गई है, जिस पर अभी 120 रुपये लागत आती है और जिसे पंखा, रेडियो और टी० वी० चलाने जैसे अनेक कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सोलर सैल सिलिकन धातु से बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये धातु धान के छिलकों और बालू से भी निकाली जाती है, पर इसे उम्दा बनाने में बड़ा खर्च आता है। आशा है कि जल्दी ही वैज्ञानिक नए मसाले खोज लेंगे, जिनसे सोलर सैल बनाने का खर्चा बेहद कम हो जाएगा। फिर तो लेह की तरह भारत भर के दूरदराज के दुर्गम इलाकों में नई रोशनी नई जिंदगी के इन्द्र धनुष खिलने लगेंगे और यह प्रगति गति पाएगी ऊर्जा की उन उजली रेखाओं से जो अपने पीछे कोई कालिख नहीं छोड़ती। □

प्रधान सम्पादक, "खेती", "फलफूल" तथा "कृषि चयनिका", भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली—110001

कृषि श्रम में सुधार एवं बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

डा0 विनय कुमार लाल श्रीवास्तव

देश में समस्त बन्धुआ मजदूरों को स्वतन्त्र करने एवं पुनर्वासित करने के उद्देश्य से इसे बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि देश के ऐसे व्यक्ति जो बन्धुआ मजदूर के रूप में जीवन निर्वाह कर रहे हैं उन्हें इस बन्धन से मुक्ति दिलाना अनिवार्य है क्योंकि भारतीय सामाजिक कल्याण की प्रक्रिया को अपनाकर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा और न्याय मिल सके। सन् 1978 में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान एवं राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 22 लाख व्यक्ति बन्धुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। यह प्रथा हमारे देश में शताब्दियों से चली आ रही है और कृषि अर्थव्यवस्था का विशेष लक्षण है।

यह स्थिति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं आदिवासियों की घोर निर्धनता एवं विवशता के कारण उत्पन्न होती है, जोकि अपना निर्वाह मजदूरी की आय पर करते हैं। मजदूरी को भी वर्ष भर में केवल कुछ माह ही प्राप्त करते हैं और बाकी दिनों में बिल्कुल बेकार रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब उन्हें फसल की खराबी अथवा विशेष अवसरों जैसे विवाह, मृत्यु, चिकित्सा इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वे अपने गांव के ही साहूकार अथवा जमींदार से ऋण प्राप्त करते हैं। चूंकि इनके पास अपने श्रम के अतिरिक्त धरोहर के रूप में कोई बहुमूल्य वस्तु अथवा खेत नहीं होता है जिससे वे अपने आप को ही रेहन के रूप में रख देते हैं। और ऋण का ब्याज सहित भुगतान न होने तक उनके यहां मामूली मजदूरी अथवा केवल भोजन पर पूर्वकालिक मजदूर के रूप में कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार साहूकार अथवा जमींदार श्रमिक की निरक्षरता एवं विवशता का नाजायज फायदा उठाते हैं और उनसे मनमाना ब्याज लगभग 25 से 50 प्रतिशत तक वसूल करते हैं। जिससे मूलधन एवं ब्याज दोनों निरन्तर बढ़ता ही रहता है और ऋणी कई पीढ़ियों तक इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है जिससे उसकी आने-वाली पीढ़ियों को भी उसी मालिक के यहां कार्य करना पड़ता है। भारत के विभिन्न भागों में इन्हें कई नामों से जाना जाता है; जैसे उड़ीसा में "हालिया" या "मूलिया" मद्रास में "पनिया", उत्तरी बिहार में 'बारहमासिया' एवं दक्षिणी बिहार में 'कामिया' मध्य प्रदेश में 'हरवाहा' उत्तरप्रदेश में 'सेवक' या 'हरि' या 'हरवाहा' इत्यादि।

गांधी विद्या संस्थान वाराणसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी का भय, कल की चिन्ता और मालिकों का डर अक्सर बन्धुआ मजदूरों को मालिकों के शिकंजे से छूटने नहीं देता है। यह सर्वेक्षण विशेषरूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती एवं आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों में किया गया। सर्वेक्षण किए गए गांवों के परिवारों में 286 परिवार बन्धुआ के रूप में कार्यरत हैं। इन परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक के बन्धुआ मजदूर बालक बालिकाओं की संख्या 23.5 प्रतिशत है। ये बन्धुआ मजदूर अपने मालिकों के यहां 6 माह से 70 वर्ष तक कार्य करते रहे हैं। इन्हें अपने मालिक के यहां 24 घंटे काय करना पड़ता है यहां तक कि अपने सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु हो जाने पर उनके शव को जलाने की तभी अनुमति दी जाती है जब मालिक का दिन भर का कार्य पूरा हो जाता है। अर्थात् बन्धुआ मजदूर अपने मालिक के अधीन होते हैं और उनकी इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं।

जहां तक बन्धुआ मजदूरों के एक वर्ग के निर्माण का प्रश्न है, हमारे समाज में इसके कुछ विशेष कारण विद्यमान हैं, जैसे (i) भारत के अधिकांश कृषि श्रमिक समाज के उपेक्षित एवं दलित जातियों के सदस्य हैं जिसके कारण उनकी स्थिति निरीह-मूक पशुओं के समान रही है और जो कभी भी दबंग बनने का साहस नहीं कर सके; (ii) बन्धुआ मजदूर असंगठित होते हैं जिसकी वजह से अपनी मजदूरी, ऋणों के ब्याज इत्यादि हेतु मालिकों से साहस के साथ सौदेबाजी नहीं कर पाते हैं; (iii) द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार श्रमिकों को वर्ष भर में केवल 196 दिन ही कार्य मिल पाता है और शेष दिन वे बेकार रहते हैं जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने हेतु ऋण लेना अनिवार्य हो जाता है; (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की कमी भी बन्धुआ मजदूर प्रणाली को बढ़ावा देते हैं; (v) हमारे देश के श्रमिक अनपढ़ हैं जिसकी वजह से उन्हें जमींदार अपने चंगुल में आसानी से फंसा लेते हैं।

बन्धुआ मजदूरों के मुक्ति हेतु सन् 1933 में ब्रिटिश संसद् ने सारे देश में 'बन्धुआ श्रम समाप्ति' नामक कानून पास किया। परन्तु भारत के विभिन्न राज्यों ने इस कानून पर कोई अमल नहीं किया और यह प्रदर्शित किया कि भारत में कोई भी श्रमिक बन्धुआ नहीं है। इसके बाद भी बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करने हेतु सरकारी प्रयास चलता रहा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद भारतीय संविधान ने दासता, बेगारी एवं जबरन

मजदूरी पर नियंत्रण लगा दिया तथा बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति हेतु कानून पास किया गया। परन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया गया जिससे यह बुराई निरन्तर बढ़ती गई।

स्वतन्त्रता के बाद भी बन्धुआ मजदूरों को स्वतन्त्र कराने हेतु किसी विशेष कार्यक्रम को नहीं अपनाया जा सका। कुछ राज्यों ने तो बन्धुआ मजदूर विद्यमान होने की स्थिति को भी अस्वीकार कर दिया था। परन्तु इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सन् 1961 से 1971 के मध्य भूधारियों की संख्या 930 लाख से कम होकर 780 लाख हो गई और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 270 लाख से बढ़ कर 470 लाख हो गई अर्थात् इस 10 वर्ष के बीच में भूमि कुछ ही हाथों में केन्द्रित हुई है जिससे भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि हुई और समाज में दरिद्रता बढ़ी।

देश में बन्धुआ मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए समय-समय पर इन श्रमिकों को संगठित करके शोषकों के विरुद्ध कई आन्दोलन चलाए गए जिससे सरकार एवं जनता दोनों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। सरकार ने पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति सम्बन्धी समितियों का गठन किया जिसके आयुक्त निरन्तर अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से इनके शोषण एवं दमन के बारे में सरकार को अवगत कराते रहे। अतः बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति हेतु अक्तूबर 1975 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके बन्धुआ श्रम को अवैध घोषित कर दिया और इन श्रमिकों द्वारा अपने मालिकों से लिए गए ऋणों को मंसूख कर दिया जिससे देश के कोने-कोने से बन्धुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त किया जा सके। सन् 1976 में इस अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया गया।

बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति कृषि श्रम सुधार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना बन्धुआ प्रणाली को समाप्त किए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को लागू करना कठिन है। सर्वप्रथम समाज में इस प्रकार के शोषित व्यक्तियों को मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से स्वतन्त्र करके उन्हें जीवनयापन हेतु ठोस आधार प्रदान करना नितान्त आवश्यक है अन्यथा हो सकता है कि स्वतन्त्र बन्धुआ मजदूर कल की चिन्ता में पुनः अपने मालिक के साथ पुर्वस्थिति में कार्य करने लगें। इस दिशा में हमारे देश की विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने ठोस कदम उठाया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कोढ़ बन्धुआ मजदूर प्रणाली को जड़ से समाप्त कर देना है एवं स्वतन्त्र कराए गए श्रमिकों को पुनर्वासित करने की भी योजना है।

विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रालयों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 31 दिसम्बर 1981 तक 1,33,550 बन्धुआ मजदूरों को स्वतन्त्र कराया गया। इनमें 1,19,026 मजदूरों को पुनर्वासित किया गया। सन् 1981-82 में 10,014 बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वासित कराने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को 80.44 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। बन्धुआ मजदूरों को स्वतन्त्र कराने एवं पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम को बड़ी तीव्रता के साथ लागू किया जा रहा है जैसे हरियाणा के सिसवा टिवाल खदानों के लगभग 134 बन्धुआ मजदूरों को, मध्य प्रदेश के 169 बन्धुआ मजदूरों को, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) के, मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा के पत्थर खदानों के, तमिलनाडु के मदुरै, तिरूनलेवेली, रामनाथपुरम, त्रिचुरापल्ली, सेलम और पुदूकोटी जिलों के 254 एवं उत्तर प्रदेश के 4155 बन्धुआ मजदूरों को, स्वतन्त्र करके पुनर्वासित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3500 बन्धुआ मजदूरों को अभी भी स्वतन्त्र कराना है। उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के लगभग 50 हजार से अधिक श्रमिक प्रति वर्ष पंजाब एवं हरियाणा में जाकर कार्य करते हैं। अतः इनके हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन दोनों प्रदेशों में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो इन श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सदियों से चली आ रही बन्धुआ मजदूर प्रणाली का उन्मूलन मात्र अध्यादेशों, कानूनों अथवा पुलिस के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक स्थिति यह है कि ये बन्धुआ मजदूर अत्यन्त ही निर्धन एवं असहाय होते हैं। इस लिए इनका जमींदारों से जीवनपर्यन्त रोजी-रोटी देने का गठबन्धन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि स्वतन्त्र कराए गए बन्धुआ मजदूरों को किसी नौकरी अथवा किसी लाभपूर्ण व्यवसाय में लगा देना चाहिए जिससे उन्हें एक निश्चित एवं नियमित आय प्राप्त होती रहे।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार बन्धुआ मजदूरों को कृषि एवं वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों में रोजगार प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों को विकसित करने हेतु सरकार बन्धुआ मजदूरों को दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन सूअरपालन, भेड़-पालन, रेशम उद्योग, महुआ तेल की घानी, नीम तेल की घानी एवं चमड़ा उद्योग को स्थापित करने हेतु सस्ते ब्याज पर पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋणों का वितरण करती है। महाराष्ट्र सरकार ने तो 'रोजगार गारण्टी योजना' प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत कोई भी भूमिहीन व्यक्ति अपने जिले के जिलाधीश के समक्ष आवेदन पत्र देकर अपने निवास-स्थान से पांच किलोमीटर की दूरी तक दैनिक मजदूरी पर कार्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की योजना को प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में राज्य सरकारें बन्धुआ मजदूरों को मुक्त एवं पुनर्वासित करने हेतु काफी प्रयत्नशील है। अतः यदि सरकार का प्रयास इसी प्रकार चलता रहा तो भविष्य में समाज में एक भी मजदूर बन्धुआ के रूप में नहीं रहेगा। □

आदिवासी क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन

एम० के० भारत

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चालू उपयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्यों पर छठी योजना के आरम्भिक दो वर्षों 1980–81 और 1981–82 में 17268.92 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

उपयोजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए पांच क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य के 174 आदिवासी विकास खंड पूर्णतः और 97 आदिवासी विकास खंड आंशिक रूप से शामिल हैं जिनकी कुल जनसंख्या 127 लाख में से 74 लाख आदिवासी है। उपयोजना कार्यक्रम को पूरी गति से चलाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में कार्यक्रम पर 20816.69 लाख रुपये का स्वीकृत प्रावधान है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के पहले से दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई धनराशि इस प्रकार रही। कृषि 3335.58 लाख रुपये, सिंचाई 6044.10 लाख रुपये, ऊर्जा 3052 लाख रुपये, सहकारिता 1119.61 लाख रुपये, शिक्षा 849.64 लाख रुपये, वन 856.95 लाख रुपये, पशुधन विकास 261.24 लाख रुपये और लोक स्वास्थ्य 508.02 लाख रुपये।

कृषि विकास

कृषि के क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को खेती संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान एवं ऋण स्वीकृत किए जाते हैं तथा आदिवासी दम्पतियां को उन्नत पद्धति की कृषि के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। उन्हें सुधरे हुए बीज एवं खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। बागवानी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। उपयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 वृहद 17 मध्यम एवं 599 लघु योजनाएं पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित की गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना काल में 8 वृहद, 24 मध्यम तथा 629 लघु सिंचाई परियोजनाएं हाथ में लेने का प्रस्ताव है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 1980–81 में 29 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है तथा क्षेत्र सिंचाई का रकबा 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया।

सिंचाई

वर्ष 1981–82 के दौरान 33000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया और क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गया। सिंचाई सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आकर्षित करने हेतु राज्य शासन ने प्रारम्भ के 5 वर्ष तक आदिवासियों से सिंचाई शुल्क न लेने का निर्णय लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों वर्षों की अवधि में 1451 गांवों में बिजली की लाइनें बिछाई गई हैं तथा 10,352 पम्पों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। आदिवासी हरिजनों के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा सिंगल प्वाइंट का कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है।

सहकारी समितियां

सहकारिता के अन्तर्गत सहकारी समितियों को लोगों के सहयोग से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपयोजना क्षेत्र में इस समय 693 सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिन्हें 21 आदिवासी बहुल जिलों के आदिवासियों को कृषि उपभोग, ऋण और साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उचित मूल्य पर मुहैया करने का काम सौंपा गया है। ये समितियां उचित मूल्य पर आदिवासियों द्वारा एकत्रित वनोपज एवं कृषि उपज भी खरीदतीं हैं। इस तरह आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा में भी ये समितियां कार्यशील हैं।

शिक्षा के बढ़ते कदम

शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में 18582 प्राथमिक, 2833 माध्यमिक तथा 490 उच्चतर माध्यमिक शालायें संचालित की जा रही हैं। उनमें प्राथमिक स्तर पर 10.98 लाख बच्चे तथा माध्यमिक स्तर पर 2.86 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

वन

वनों से आदिवासियों को प्रतिवर्ष करीब 2500 लाख रु० के लाभ विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। वानिकी कार्यक्रम बनाते समय आदिवासियों की निस्तारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आदिवासी समाज को प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करने तथा फलदार वृक्ष, तिलहन के रोपण के रूप में आदिवासी समाज के लिए स्थायी सम्पत्ति के निर्माण के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

पशुपालन एवं मत्स्य विकास के लिए स्थानीय संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में उपयोजना क्षेत्र के सभी समस्याग्रस्त गांवों

(शेष पृष्ठ 23 पर)

बंजर धरती बनेगी कामधेनु

भावनगर में आजकल हमारे वैज्ञानिक शोधकर्ता एक महत्वाकांक्षापूर्ण योजना में जुटे हुए हैं, जिसका लक्ष्य है—समुद्र तट के रेतीले टीबों को नखलिस्तानों में बदलने की तकनीक का विकास ।

योजना यह है कि इन टीबों में समुद्र जल से अनाज की खेती की जाए और तेल देने वाले "जोजोबा" वृक्ष, रबर के स्रोत "गुग्रायूल" और कागज बनाने में उपयोगी विदेशी घास "जंकस रिजिडस" के जंगल भूगर्भ के खारे जल से सींचकर उगाए जाएं ।

भावनगर के केंद्रीय लवण और समुद्री रसायन शोध संस्थान (सी० एस० एम० सी० आर० आई०) के वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे ऐसी तकनीक विकसित कर लेंगे, जिससे समुद्र-तट की, रेतीले टीबों वाली 8.5 लाख हैक्टेयर भूमि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सकेगी । उनकी इस आशा का आधार है संस्थान में पिछले एक दशक से चल रहा शोध कार्य ।

समुद्र-जल से खेती करने की तकनीक अब तक सिर्फ इस्रायल और रूस विकसित कर पाए थे । अब उसे सी० एस० एम० सी० आर० आई० भारत में सफलता-पूर्वक आजमा रहा है ।

भावनगर से करीब 30 कि० मी० दूर हथब में संस्थान का प्रयोग-क्षेत्र है । वहां बाजरे की "भावपुरी" किस्म की फसल रेत के टीबों पर लहलहा रही है । उसे समुद्र से पंप द्वारा खींचे गए खारे पानी से ही सींचा जा रहा है । बाजरे की अनेक लवण-सहिष्णु किस्मों पर एक दशक तक प्रयोग-परीक्षण किए गए और अंततः वह किस्म उपयुक्त पायी गयी । इसी तरह गेहूं की एक राजस्थानी किस्म 'कड़छिया' भी यहां उगाई गई है, हालांकि समुद्र-तल से सींचे जाने पर यह उतनी उपज नहीं देती ।

इन रेतीले टीबों में वैज्ञानिकों ने चुकंदर भी उगाए हैं । इनकी सिंचाई के लिए खारे पानी में सादा पानी इस हिसाब से मिलाया जाता है कि पानी का खारा-पन 30,000 से 15,000 भाग प्रति दस लाख रह जाए । श्री बालकृष्ण, जो कि यहां प्रयोगरत हैं, बताते हैं कि इन चुकंदरों का उपयोग अल्कोहल बनाने में हो सकता है । उन्होंने यह भी बताया कि वैसे तो समुद्र-जल के सींचने पर बाजरे की फसल औसत से कम होती है, फिर भी 2.5 हैक्टेयर भूमि का स्वामी किसान भी उससे 6,800 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष कमा सकता है ।

इसी तरह वे बताते हैं कि खारे पानी से उग सकने वाली बाजरे की "बाबा-पुरी" किस्म का अधिक उपजाऊ बाजरे के साथ संकरण करके एक नई किस्म का बाजरा तैयार करने की कोशिश की जा रही है ।

भावनगर से लगभग 80 कि० मी० दूर जंजमेर गांव में और उड़ीसा समुद्र-तट के गंजम जिले के गोलाबंदा गांव में संस्थान ने रेतीले टीबों पर बारह हैक्ट-यर के क्षेत्र में "जोजोबा" के बाग लगाए गए हैं । यह भारत में इस किस्म का पहला प्रयोग है ।

जोजोबा का पौधा अच्छा ऊर्जास्रोत है और उसका 60 प्रतिशत तेल होता है । इससे ऐसे अनेक उत्पाद मिल सकते हैं, जो फिलहाल पेट्रोलियम से या स्पर्म जाति की व्हेल से प्राप्त किए जाते हैं । इसका तेल एक आदर्श चिकनाई है और विभिन्न शृंगार-प्रसाधनों, केशतेल, शैम्पू, साबुन, चेहरे की क्रीम और पालिश करने वाले वक्स बनाने के काम आता है । इसकी गिरी 60 डालर प्रति किलोग्राम के भाव से बिकती है और सारी दुनिया में उसकी मांग है । जोजोबा के पौधे को पूरा बड़ा होने में लगभग सात वर्ष लगते हैं । किंतु संस्थान ने अपने फार्म में साढ़े तीन वर्ष के पौधों से भी गिरियां हासिल की हैं । 1984 से गिरियों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होने की आशा है । इन पौधों का जीवन-काल 100 वर्ष से ज्यादा होता है ।

संस्थान ने जोजोबा की गिरियों से तरल मोम तथा ओंगन के काम आने वाला तेल निकालने की विधियां पहले ही खोज लीं थीं ; अब उनका उपयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए हो सकता है । यह सूचना संस्थान के निदेशक श्री एम० एम० तकी खान ने दी है । उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार जोजोबा की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन देने वाली है ।

संस्थान ने "गुग्रायूल" की भी खेती शुरु की है, जिससे रबर सरीखी वस्तु प्राप्त होती है । इसके 500 पौधे जंजमेर में आधे हैक्टेयर जमीन में पनप रहे हैं और उनसे रबर प्राप्त भी की जा चुकी है । इसके बीज मेक्सिको से मंगवाए गए थे ।

श्री खान के अनुसार, "भारत प्रतिवर्ष 15,000 टन रबर का आयात करता है । सूखे इलाकों की बंजर जमीन में गुग्रायूल उपजाकर हम विदेश से आयात की जाने वाली प्राकृतिक रबर का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं ।"

वैज्ञानिकों ने यहां मिस्र की "जंकस रिजिडस" नाम की घास भी सफलतापूर्वक उगाई है । खारी जमीन में उगने वाली यह घास विशेष किस्म का उम्दा कागज बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई है ।

रेतीले टीबों में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पौधे उगाने की इस योजना के लिए ऐसा भारत सरकार का पर्यावरण-विभाग दे रहा है । □ (प्रे० ट्र० फीचर)

ग्रामीण उद्योगीकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

अमिताभ तिवारी

प्राचीन काल से ही भारत अपने हस्त-शिल्प और कौशल पर आधारित ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए सम्पूर्ण विश्व में "सोने की चिड़िया" के नाम से विख्यात था। इन उद्योगों के उत्तम कोटि के उत्पादन से आकर्षित होकर संसार के विभिन्न देशों से व्यापारी भारत आए और उन्होंने उच्च कोटि की भारतीय वस्तुओं का व्यापार प्रारम्भ किया। प्रथम औद्योगिक कमीशन (1916-18) की रिपोर्ट के अनुसार "ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का औद्योगिक ढांचा अत्यन्त सुदृढ़ था और जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी को भारत में व्यापार करने का प्रथम अनुज्ञा पत्र प्राप्त हुआ तब उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो तकनीकी गुणवत्ता और उत्तमता में भारतीय वस्तुओं के समान हो।" यही कारण था कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारतीय कारीगरों का शोषण करना प्रारम्भ किया और तत्कालीन उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास प्रारम्भ किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सत्ता ग्रहण करने के उपरान्त भी भारतीय ग्रामोद्योगों और हस्त कौशल पर आधारित उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी को समाप्त करने का संगठित अभियान चलता रहा ताकि भारत का कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में औपनिवेशिक शोषण किया जा सके। इन प्रयासों के कारण भारतीय ग्रामोद्योगों का तीव्रता से ह्रास हुआ। यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के अभिन्न अंग के रूप में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और प्राचीन हस्तकौशल और ग्रामशिल्प पर आधारित कुटीर व ग्रामीण उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु स्वदेशी आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन ने भारतीय जनमानस को अपने देश के मोद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रयोग करने हेतु जाग्रत किया। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत की विकास योजनाओं में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया और इनके विकास हेतु अनेक ठोस प्रयास किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कुटीर और ग्राम उद्योगों में जीवन का संचार तो हो गया परन्तु वे अभी तक अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं हो सके हैं और किसी न किसी रूप में राजकीय सहायता पर आश्रित रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसाधारण की दृष्टि में ग्रामीण और कुटीर उद्योग फैशन विहीन पारम्परिक प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण पिछड़ेपन और घटियापन के प्रतीक बन गए हैं। साथ ही साथ प्राचीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण इन उद्योगों के उत्पादन की कीमत भी अधिक होती है। अतः आज की आवश्यकता यह है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय ज्ञान के समुचित प्रयोग से ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी को अधिक सक्षम और कुशल बना दिया जाए जिससे उसकी अर्थक्षमता में वृद्धि हो तथा ग्रामोद्योग विकसित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। स्पष्ट है कि यह कार्य सुगमतापूर्वक तब हो सकता है जब ग्रामीण भारत में विद्यमान पारम्परिक प्रौद्योगिकी को किसी बाहरी प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापित करने का प्रयास न किया जाए वरन् विद्यमान प्रौद्योगिकी में ऐसे सुधार किए जाएं जो उसे अधिक सक्षम और उपयोगी बना दें। ग्रामीण उद्योगीकरण हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले सघन प्रयासों को सफल बनाने की दृष्टि से भी ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना नितांत आवश्यक है।

यद्यपि हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान अपने शिखर पर था परन्तु सैकड़ों वर्षों की विदेशी दासता के दौरान उसका समुचित विकास न हो सका। यही कारण है कि आज पश्चिमी देशों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी दृष्टि से जटिल और पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी को आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यायवाची मान लिया जाता है। इसी मान्यता पर अनेक विद्वानों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि ग्रामीण भारत में विद्यमान परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि ग्रामोद्योगों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय ज्ञान का प्रयोग किया जा सके। यह तर्क नितांत भ्रमपूर्ण मान्यता पर आधारित होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अभिप्राय विचारों और साधनों के उस सुसंगठित मिश्रण से होता है जिनके सुविचारित प्रयोग से मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण को अपने समुचित विकास हेतु उपयुक्त दिशा में परिवर्तन करने का

प्रयास करता है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए विकास के नए आयामों को खोजने और विद्यमान बाधाओं को समाप्त करने में मनुष्य की सहायता करती है। अतः प्रौद्योगिकीय व वैज्ञानिक ज्ञान मानव जाति के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है और यदि इसे उपयुक्त परिवर्तन और विकास के इन्जन के रूप में सफल होना है और सुनिश्चित सामाजार्थिक लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो इसे विशिष्ट रूप से उपयुक्त दिशा में निर्देशित करना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकीय ज्ञान मनुष्य के हाथ में एक अत्यन्त प्रभावी उपकरण के रूप में हैं जिनके प्रयोग द्वारा विकास के लक्ष्यों को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक समाज में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञों की परिवर्तन के एजेन्ट की विशिष्ट व उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में विज्ञानविदों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रयोग द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज करना है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभिप्राय किसी वाह्य प्रौद्योगिकी को ग्रामोद्योगों में प्रयोग हेतु ग्रामीण भारत में लागू करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए वस्तुतः इस उपयुक्त विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकी तक पहुंचने का मार्ग परम्परागत प्रौद्योगिकी के सम्यक् विश्लेषण द्वारा अनुकूलता की खोज करना है जिसका उपयोग देश में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उत्पादन बढ़ाने तथा व्यावहारिक परिणाम हासिल करने के लिए किया जा सकता है। अतः भारत में ग्रामीण उद्योगीकरण कार्य की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शोध का लक्ष्य ग्रामीण भारत में प्रचलित प्रौद्योगिकी की कार्य कुशलता, उपयोगिता और अर्थक्षमता में वृद्धि करने की रीतियों को खोजना हो।

यह सर्वविदित है कि हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शोध संस्थानों की एक लम्बी श्रृंखला विद्यमान है जिसमें 200 से अधिक शोध संस्थान तथा 150 से अधिक विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञों की संख्या की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में तीसरा स्थान है। इस प्रकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी है परन्तु इस प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक ज्ञान ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में गहनता के साथ प्रवेश नहीं किया है और न ही इसने ग्रामीण निर्धनों के जीवन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अतः आज की आवश्यकता आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग समग्ररूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तथा विशेष रूप से ग्रामीण उद्योगों की कुशल तथा श्रेष्ठ उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए करने की है। पुनः यहां यह ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान पारम्परिक प्रौद्योगिकी की कार्य कुशलता और अर्थक्षमता की दृष्टि से सुदृढ़ करने और वर्तमान समय की मांग के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

ग्रामीण उद्योगीकरण की प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्यरूप से दो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु होना चाहिए। प्रथम ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अधिक सक्षम और कार्य कुशल बनाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सर्व प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रो० एम० एल० दांतवाला के अनुसार "विद्यमान प्रौद्योगिकी में बिना किसी विशेष पूंजी निवेश के सुधार करने की इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि कम से कम प्रारम्भिक अवस्था में तो अत्यन्त तीव्र गति से प्रगति हो सकती है।" द्वितीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण कारीगरों की उत्पादिता में वृद्धि करने तथा विभिन्न ग्रामोद्योगों में होने वाले शारीरिक श्रम के ह्रास को कम करना होना चाहिए। ऐसा होने पर ही ग्रामीण कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण कारीगरों की स्थिति तथा योग्यता में वृद्धि करने के लिए उनको उपयुक्त आधुनिक ज्ञान से परिचित कराने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

वस्तुतः ग्रामीण भारत में शिक्षा के तीव्र प्रसार के कारण शिक्षित नवयुवक स्वयं को अनपढ़ ग्रामीणों से श्रेष्ठ अनुभव करने लगे हैं और वे रोजगार के साधन के रूप में कुछ आधुनिक और विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्य करना चाहते हैं जिससे उनको एक सामान्य अकुशल श्रमिक की तुलना में अधिक मजदूरी मिल सके। इस प्रकार के कार्य के अवसर ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्र में न प्राप्त होने पर ये शिक्षित ग्रामीण नवयुवक (तथा अन्य कुशल कारीगर) बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। शहरों में इन ग्रामवासियों को मनोवांछित रोजगार प्राप्त होता है अथवा नहीं, यह विवाद का विषय है। परन्तु उनको शहरों झोंपडियों और मलिन बस्तियों के हानिकारक वातावरण में रहना पड़ता है और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र उनकी सेवाओं से वंचित रह जाता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामोद्योग को विकसित करने में इस प्रकार होना चाहिए कि ग्रामोद्योग कुशल और शिक्षित ग्रामवासियों के शहरों की ओर पलायन को रोक सकें, ग्रामीण निर्धनों और कारीगरों को पर्याप्त आय प्रदान करने वाला उत्पादक रोजगार प्रदान कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा संसाधनों के अनुसार उद्योगीकरण को तीव्र कर सकें। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में समग्र रूप से और ग्रामीण उद्योगीकरण में विशिष्ट रूप से प्रयोग हेतु एक कुशल ग्रामीण व्यावहारिक प्रौद्योगिकी का विकास करना एक ज्वलन्त सामयिक आवश्यकता है। अतः ग्रामोद्योगों के समुचित विकास में अपनी भूमिका का

निर्वाह करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की विद्यमान प्रौद्योगिकी में सुधार करना चाहिए ताकि ग्रामीण उद्योग उत्पादन कार्य में अधिक कुशल बन सकें तथा अच्छे स्तर की वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। साथ ही साथ ग्रामीण उद्योग में रोजगारपूरक उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु प्रयास करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

संभावनाएं

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो सदियों से चली आ रही परम्परागत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इन ग्रामोद्योगों का आधार मानवीय श्रम होता है और सामान्य उपकरणों की सहायता से इनमें उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः गुण की दृष्टि से इन उद्योगों का उत्पादन श्रेष्ठ होता है परन्तु इन की लागत अधिक होती है और श्रमिक की उत्पादिता इतनी कम होती है कि वह अपने निर्वाह हेतु आवश्यक आय नहीं प्राप्त कर पाता है। यही कारण है कि ग्रामीण कारीगरों, उद्योगकर्मियों और भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा दयनीय रहती है। यदि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्रामोद्योगों की सरलता बरकरार रखते हुए उनको अधिक कुशल और उत्पादक बना दिया जाए तो न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी वरन् श्रमिक की आय भी बढ़ सकेगी और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का निदान भी हो सकेगा। वस्तुतः बहुत से ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की प्रवृति ऐसी है कि थोड़े से प्रयास द्वारा उसे अधिक कार्यकुशल और अर्थक्षमता युक्त बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहां कुछ ग्रामोद्योगों की प्रकृति और उनमें अपेक्षित सामान्य सुधारों का विश्लेषण किया जा रहा है।

कृषि उत्पादों की कुटाई और मड़ाई का कार्य ऐसा कार्य है जो सम्पूर्ण देश में किया जाता है तथा जिसमें मुख्य रूप से सारा काम श्रमिक अपने हाथों से करते हैं। यदि छोटे सरल उपकरणों का विकास कुटाई और मड़ाई के लिए किया जाए तो इन श्रमिकों के श्रम का ह्रास कम होगा और उनकी उत्पादिता बढ़ सकेगी। कुटाई और मड़ाई के कार्यों में धान तथा दालों की कुटाई व सफाई आज भी मुख्य रूप से हाथों द्वारा की जाती है। इस दिशा में विकसित प्रौद्योगिकी प्रयोग के नाम पर आधुनिक मिलें हैं जो कुटाई, मड़ाई और सफाई का कार्य तीव्रता से तो करती हैं परन्तु एक ओर श्रम का कम प्रयोग करके बेरोजगारी उत्पन्न करती हैं तथा दूसरी ओर तैयार खाद्यान्न में पोषकता की मात्रा को काफी कम कर देती है। अतः आज की आवश्यकता हाथ से चलने वाले ऐसे यंत्रों का विकास करने की है जो खाद्यान्न की पोषकता में कमी न करते हुए श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकें। इस दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास गांधी ट्रस्ट ग्राम, मदुरै (तमिलनाडु) द्वारा किया गया है। ट्रस्ट ने धान की कुटाई करने के लिए हाथ से चलने वाली एक चक्की का विकास किया है जो बाल बेयरिंग पर आधारित होती है। इस चक्की में मानवीय श्रम का ह्रास कम होता है और उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार तैयार चावल पर पालिश करने के लिए गांधी ग्राम ट्रस्ट ने शक्ति चालित शंकुयंत्र का भी विकास किया है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के यंत्र अकुशल श्रमिकों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को अधिक उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे जिससे इनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।

कृषि उत्पादों की कुटाई और मड़ाई के समान ही कोल्हू द्वारा तेल पेरना भी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमुख उद्योग है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 2 लाख कोल्हू लगे हुए हैं जिनमें 2.3 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। सामान्यतः साधारण कोल्हू को बैलों की सहायता से चलाया जाता है। इसके कारण उनकी कार्य करने की गति धीमी होती है और पूरी तरह से तेल निकल भी नहीं पाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कोल्हू में इस प्रकार के सुधार किए जाएं जिससे श्रमिकों की उत्पादिकता बढ़ सके और अधिकतम मात्रा में तेल पेरा जा सके। स्पष्टतः आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक कार्यकुशल कोल्हू का विकास किया जा सकता है। इस दिशा में कुछ प्रयास विभिन्न शोध संस्थाओं द्वारा किए गए हैं परन्तु इस प्रकार विकसित किए गए कोल्हू अभी प्रचलन में नहीं आ सके हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी सुधरे हुए कोल्हू विकसित किए गए हैं उनमें और अधिक सुधार अपेक्षित है। अतः इस दिशा में अभी निरन्तर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।

कृषि और कृषि उत्पादों से सम्बद्ध उद्योगों के बाद हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें ग्रामीण भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग रोजगार में लगा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग 38 लाख हथकरघे प्रयुक्त हो रहे हैं और लगभग 95 लाख व्यक्ति प्रत्यक्षतः हथकरघा वस्त्र के उत्पादन कार्य में संलग्न हैं। इन व्यक्तियों से तीन गुनी संख्या में व्यक्ति इस उद्योग से सम्बद्ध विभिन्न सहायक व्यवसायों तथा करघे का निर्माण, रीड निर्माण, पटल समावलन, कपड़े की रंगाई व छपाई आदि में संलग्न हैं। स्पष्ट है कि यह उद्योग भारतीय ग्राम जीवन के साथ संयुक्त हो गया है। अतः आज की आवश्यकता यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान के समुचित प्रयोग द्वारा हथकरघा उद्योग की कार्यकुशलता में वृद्धि की जाए। इस कार्य के लिए उपकरणों और औजारों में सुधार करने के साथ-साथ निर्मित वस्त्रों के डिजाइन और कलात्मकता में सुधार करना होगा।

हथकरघे में किए जाने वाले सुधार के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इनमें प्रयोग हेतु धागे के निर्माण के लिए उपयुक्त किस्म के चरखों (या विकसित कताई यंत्र) का विकास किया जाए। चरखों के विकास के इस प्रयास का लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक ओर तो उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित मिलों द्वारा उत्पादित धागे के समान स्तर का धागा निर्मित किया जा सके तथा दूसरी ओर धागों का उत्पादन इतनी मात्रा में हो सके कि सम्बद्ध व्यक्ति को पर्याप्त आय भी प्राप्त हो सके। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं और ऐसे चरखों का विकास किया जा चुका है जिसमें 12 तकुए होते हैं और जिनको एक पैडल की सहायता से पैरों द्वारा चलाया जाता है।

परन्तु इन चरखों द्वारा भी हथकरघों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धागे का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्च कोटि के धागे का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशल पर सरल प्रकृति के यंत्रों का विकास किया जाए। इस प्रकार के सरल कताई यंत्र का विकास करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकीय ज्ञान का उपयुक्त दिशा में प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में साबुन उद्योग एक अन्य ऐसा उद्योग है जिसमें प्रौद्योगिकी को सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें छोटे-छोटे शक्ति चालित यंत्रों के प्रयोग से शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवकों को उत्पादक व लाभदायक रोजगार में लगाया जा सकता है। इस दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 5 अश्वशक्ति के छोटे-छोटे यंत्रों का विकास करने का सराहनीय प्रयास किया है। इस प्रकार के यंत्रों की सहायता से छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में 50 कि० ग्रा० साबुन का प्रतिदिन उत्पादन किया जा सकता है। यदि इन यंत्रों में ऐसा सुधार किया जा सके जिससे उत्पादित साबुन की किस्म अच्छी हो सके तो निश्चय ही इन यंत्रों की उपादेयता अधिक हो जाएगी। साबुन के ही समान माचिस उद्योग भी छोटी विकेन्द्रित इकाइयों से चलाया जा सकता है और इस में प्रयोग हेतु सरल कार्यविधि वाले छोटे-छोटे यंत्रों का विकास खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रयासों को व्यापक स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि अन्य ग्रामोद्योगों के संदर्भ में भी विकसित यंत्रों का प्रयोग किया जा सके।

चुनौतियां

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण उद्योगीकरण की प्रक्रिया की गति में तीव्रता लाने और ग्रामीण क्षेत्र को समग्र रूप से अधिक उत्पादक बनाने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान का प्रयोग "परिवर्तन व विकास के इन्जन" के रूप में किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि इसके लिए सघन प्रयासों की आवश्यकता है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्रामीण उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली पारम्परिक प्रौद्योगिकी का समुचित विकास हो सके और इस प्रकार परिष्कृत की गयी प्रौद्योगिकी में उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण उद्योगों में प्रचलित पारम्परिक प्रौद्योगिकी की सरलता नष्ट न होने पाए। इसका कारण यह है कि जटिलता उत्पन्न हो जाने पर परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रति अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे और अकुशल ग्रामवासियों के मन में सन्देह हो जाएगा और इसलिए इस प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाए जाने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष लागत का है। परिष्कृत अथवा उपयुक्त प्रौद्योगिकी की लागत पारम्परिक प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एक सामान्य भारतीय ग्रामीण कारीगर आर्थिक रूप से अत्यन्त निर्बल होता है और नई प्रौद्योगिकी पर आधारित विकसित यंत्रों के महंगे होने पर वह पारम्परिक परन्तु सस्ती प्रौद्योगिकी वाले यंत्रों को ही प्रयोग करने लगता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि ग्रामोद्योगों के लिए जो नई प्रौद्योगिकी विकसित की जाए उसकी लागत बहुत अधिक न हो। अधिक लागत वाली प्रौद्योगिकी का ग्रामीण उद्योगों में प्रयोग तभी हो सकेगा जब व्यापक संस्थागत सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाए। और इस व्यवस्था के बाद भी यह संभावना बनी रहेगी कि ग्रामवासी उसे व्यापक रूप में स्वीकार करने को तैयार ही न हों।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण उद्योगीकरण के कार्य को सफल बनाने के लिए ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त होने वाली प्रोद्योगिकी की कार्यक्षमता व अर्थक्षमता में वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है। यह कार्य हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का है कि वे अपने विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के प्रयोग द्वारा ग्रामोद्योगों की प्रौद्योगिकी की सरलता को बरकरार रखते हुए इसको अधिक श्रेष्ठ बना दें। इस कार्य के लिए प्रयोगशालयीय शोध के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में भी कमर कस कर उतरना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुई सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिक कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। अतः अब वैज्ञानिकों को ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने को तैयार हो जाना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र को और विशेष रूप से ग्रामवासियों को उनसे बहुत आशाएं हैं जिन्हें उनको पूरा करना है। □

प्रतिभा सदन,
1 बी/2ए, राजरूप पुर,
पो०—धूमनगंज,
इलाहाबाद-211011

आदिवासी क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन.....

[पृष्ठ 18 का शेषांश]

में पेयजल की व्यवस्था करने का निर्णय ले लिया गया है। 31 मार्च, 1982 तक 13014 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है और शेष 5948 गांवों में ये सुविधा छठी पंचवर्षीय योजना काल के शेष वर्षों में सुलभ करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उपयोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। इन क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते, उनके बच्चों को छात्रवास सुविधा तथा आवास गृह की व्यवस्था आदि विशेष सुविधाओं से आकर्षित होकर अब चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ सेवा के लिए अग्रसर हो सकेंगे। आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थति का सर्वेक्षण करने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत बस्तर, सरगुजा तथा झाबुआ जिलों में सर्वेक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं। □

साम्प्रदायिक सद्भाव

और

राष्ट्रीय एकता

अहद् प्रकाश

इन्सानी रिश्ते भावनाओं के इन्द्र धनुषी रंगों में कितने खूबसूरत लगते हैं जब कोई बंगाली वृद्ध एक नए आए हुए पंजाबी नौजवान से पूछता है कि तुम्हें यहां भिलाई में कैसा लगा और यकीनी तौर पर जब वह नौजवान उस आदरणीय बुजुर्ग को उत्तर देता है कि यह तो हमारे नए भारत के तीर्थ हैं, यहां हम काम करते हैं और बहुत खुश हैं।

औद्योगिकीकरण का यह बड़ा फायदा, अब आपको सभी नए बसे शहरों में दिखाई पड़ता है जहां सभी धर्मों, सम्प्रदायों और विविध भाषा-भाषी लोग हिल-मिल कर और प्यार से रहते हैं। उसके बावजद जो एक धुंध कहीं-कहीं हम देखते वह दरअसल हमारे यहां व्याप्त अशिक्षा और मानसिक संकीर्णता की वजह से मिलती हैं और वह धुंध जो निस्संदेह बड़ी भयावह और जहरीली है जो हमारे सब आपसी सद्भाव और समझदारी से ही समाप्त हो सकती है। मिल-जुल कर सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अपने आपको सशक्त बनाया जा सकता है। हमें सबको मिल जुलकर अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, चीजों को पैदा करना चाहिए और मिल बांट कर उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे ऐसा करने से देश शक्तिशाली और आत्म-निर्भर होगा, देश की सही पूंजी सोना-चांदी कल-कारखाने और महल इमारतें नहीं हैं बल्कि यहां की जनता है, परस्पर सहयोग सद्भाव और सौजन्य से हम अपने आप को सही पूंजी में तबदील कर सकते हैं और सारी समस्याओं को एक चुटकी में सुलझा सकते हैं।

कोई भी सम्प्रदाय कोई भी धर्म किसी भी जीव पर अत्याचार की इजाजत नहीं देता, वह आपस में द्वेष नहीं सिखाता, बकौल उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल :—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना

हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दुस्तां हमारा।"

धर्म का असली काम आदमी को सच्चा और अच्छा इन्सान बनाना होता है।

आज देश में सांप्रदायिक सद्भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अपने आपको, अपने खेमे को, अपने वर्ग को, अपने आंगन को, अपनी जुबान को, अपनी नस्ल को, झूठी शान शौकत और श्रेष्ठता की चका-चौंध से बचाना है।

हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और मठों के उत्थानों में हमारी मेहनत और संकृति के दर्शन होते हैं, ये हमारी विरासत के दस्तावेज हैं हमारे पुरखों की मौहब्बत और मेहनत की मिसालें हैं। हमें उनकी कद्र करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।

जब तक हम एक दूसरे की भावना को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, उसकी कद्र नहीं करेंगे तो हमें भी वह सब कुछ नहीं मिल सकता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं।

रिश्तों को आत्मीयता से महसूस करना, निस्वार्थ सेवा करना, गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद करना और जबरदस्त त्याग की मिसाल बनना हमारी संस्कृति की सबसे आलीशान बातें हैं जिन पर हमें गर्व है, हमारी संस्कृति रंग बिरंगी और तरह-तरह की खुशबुओं का मजमुआ, हमारे रंग जरूर जुदा हो सकते हैं, हमारी नस्ल भी अलग हो सकती है, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे रीति-रिवाज, हमारे पूजा के ढंग जरूर भिन्न हो सकते हैं मगर दिलों में मोहब्बत के जज्बे भिन्न नहीं हो सकते हम सहृदय हैं और सहृदय रहेंगे।

हमारे यहां जितने धर्म हैं उनके जो पैगम्बर और गुरु हुए हैं वे तमाम धर्मों के इंसानों के प्रकाश स्तंभ हैं। जैन धर्म के भगवान महावीर इतने तपस्वी और समताधारी थे कि उनका सन्निपस्थ वातावरण भी इतना पवित्र और शांत बन गया था कि जंगल के भयानक हिंसक पशु भी उनके निकट आकर प्रेम क्रीड़ा में लीन हो जाते और उनकी हिंसक क्रूर भावना शांत होकर जाने कहां चली जाती।

पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि इंसान इंसान सब बराबर है, बड़ा वही है जो ईश्वर से ज्यादा डरता है। बड़ाई किसी खास नस्ल में पैदा होने से नहीं आती बल्कि समाज में अच्छे काम करने से हासिल होती है।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का कहना है कि लोगों के दिलों में मौहब्बत के फूल खिलाना हजारों तीर्थों से बेहतर हैं।

भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा के चरण अपने करकमलों से धोए थे। उनकी वह आत्ममीयता और सत्कार भावना हमारे अंदर कितनी बैठी है हम स्वयं जायजा लें। संतों में महान संत गुरु नानक ने जन-कल्याण और सद्भावना के लिए सांसारिक सुखों का परित्याग किया। उनकी एक ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वह गरीब और पिछड़े हुए लोगों में प्रेम और भक्ति की मशाल लेकर घुसते रहे उनकी दृष्टि में सब इंसान एक हैं और उनका प्यारा परमात्मा भी एक है। महान बलिदानी महात्मा ईसा ने सारे मानवों को भलाई के लिए प्रेरित किया, उन्हें सत्य का रास्ता दिखाया, ईश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करना सिखाया और अंततः महात्मा ईसा इंसानों की मुक्ति के लिए सूली पर चढ़ गए।

साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पीछे जो हमारा इतिहास रहा है उसे भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। मुगल सम्राट् अकबर का दीन-इलाही इसी शृंखला की एक सुनहरी कड़ी कहा जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में कबीरदास को याद किया जाना चाहिए, वह जात के मुसलमान जुलाहे थे मगर उनका लोक साहित्य विशुद्ध भारतीय है। इसी प्रकार अमीर खुसरो, रसखान, रहीम, जायसी की सेवाएं भी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने जन साहित्य के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर जोरदार काम किया।

आधुनिक महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम कृष्ण परमहंस का कथन है— सभी धर्मों की आत्मा ईश्वर के सार्वभौम स्वरूप का संक्षिप्त रूप है। प्राणीमात्र के लिए हृदय में दया दर्शाये बिना ईश्वर के करुणामय स्वरूप को हम नहीं पहचान सकते। ईश्वर ज्ञान, सत्य एवं प्रकाश है। स्वामी राम कृष्ण परमहंस विवेकानन्द के गुरु थे। उन्होंने सभी धर्मों में समन्वय और एक सशक्त सामंजस्य तलाशने की कोशिश की और इसी वजह से बंगाली के प्रसिद्ध मुसलमान कवि स्वर्गीय काजी नजरुल इस्लाम ने उनके बारे में कहा है, "हे तपस्वी, तुमने इस कलियुग में भी सतयुग की पावन स्मृति प्रस्तुत की है।" राम कृष्ण परमहंस की तरह श्री अरबिन्द ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया और मानवता को धर्म की अंतरात्मा बनाया, ईश्वर में अटूट विश्वास जगाया और लोगों के हृदयों से विद्वेष भावना को निकाल फेंका।

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी सब धर्मों में एक रूपता देखते थे। वह सारे जीवन भर समन्वय और सामंजस्य के लिए जुटे रहे। उनका यह भजन आज जन-जन के हृदय सितार पर बजता है।

"ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सनमति दे भगवान।"

हमारे देश में अनेकों सूफी संतों ने जन्म लिया जो सांप्रदायिक सद्भाव के सेतुबंध कहे जा सकते हैं। उन्होंने जन-जन को अपनी प्रेम वाणी से मंत्र मुग्ध कर लिया। उन्होंने त्याग और प्रेम की किरणें बो दीं। इन सूफी संतों ने जहां सभी लोगों को ईश्वर आराधना के लिए प्रेरित किया वहां इंसानी भाई-चारे और सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में भी अपनी अहम् भूमिका निभाई। इन महान सतों में स्वर्गीय शेख हसन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबउद्दीन, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख मुईनउद्दीन चिश्ती, शेख बुरहमान, संत अब्दुल रहीम, ताजउद्दीन बाकी नागपुर, बाबा अब्दुल लतीफ, शिर्डी के सांई बाबा, बाबा मख्दूम आदि उल्लेखनीय हैं। आज भी इनकी मजारों पर लाखों हिन्दू-मुसलमान एक साथ अपनी श्रद्धा और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। इसी सिलसिले में एक कड़ी मेरठ का नौचंदी मेला भी है जहां हमारी सतरंगी लोक संस्कृति झिलमिलाती है।

तमाम धर्म गुरुओं के वचनों से हमें पता चलता है कि सारे धर्मों के मूल में सच्चाई, ईमानदारी, श्रद्धा भक्ति, नेक नियती और कर्तव्यनिष्ठा के दर्शन होते हैं। एक सच्चा और सही धार्मिक चाहे यह किसी भी धर्म का ही क्यों न हों, वह आसानी से समाज का विश्वास अर्जित कर लेता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, वे अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी ईमानदारी और मुस्तैदी से करते हैं। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है और आज तक जबकि बरसों बीत चुके हैं सत्य नहीं बदला है। सभी धर्म गुरुओं, संत महात्माओं ने इसी सत्य के लिए काम किया है। सत्य ही श्रेष्ठ है जो सत्याधारी होता है वह निर्भीक होता है किसी का अहित नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, कभी घमंड नहीं करता। सत्य का दर्शन भारत के तमाम संप्रदायों में हमें एक सा दृष्टिगोचर होता है।

1857 का राष्ट्रीय आंदोलन हमें याद दिलाता है — सम्राट् बहादुर शाह जफर की, झांसी की रानी की, तात्या टोपे की और उन तमाम शहीदों की आत्माएं जिन्होंने भारत की आजादी में अपने तन-मन-धन की आहुति दी। इस आंदोलन में तमाम कौमें एक मोर्चे पर थीं और वह मोर्चा था भारत की आजादी और उसकी एकता के लिए अमीर गरीब, और हर जात बिरादरी के इंसानों का मिला-जुला खूबसूरत मोर्चा। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हिन्दु मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर कुर्बानियां दीं। शहीद अशफ़ाक उल्ला, भगत सिंह आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सैकड़ों अनाम शहीदों की आत्माएं आज हमसे अपने प्यारे वतन के लिए खूबसूरत सद्भाव और मजबूत राष्ट्रीय एकता की पुख्तगी की मांग करते हैं। ये बहादुर लाड़ले हंसते गाते भारत माता के लिए सूली पर चढ़ गए।

इसके बावजूद हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उनकी उतनी ही विभिन्न आस्थाएं, रीति-रिवाज और तौर-तरीके हैं। लेकिन सबके अंतर में सत्य, प्रेम और सहनशीलता कूट-कूट कर भरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए भारत के लोग एक मजबूत और सुंदर भारत का सपना संजोये हुए अपने उज्ज्वल भविष्य को देख रहे हैं। हमारी रेलें, सिनेमा और संस्कृति, कल-कारखाने और नगर, गांव और खेत, इसके विपरीत बेहतरीन उदाहरण हैं कि वहां तमाम अनेकताओं के बावजूद एक जबरदस्त एकता मिलती है। यह राष्ट्रीय एकता हमें खुशहाली और रोशनी का आश्वासन देती है। हालांकि हमें इस बात से इन्कार नहीं है कि हमारे यहां निरक्षरता कुछ अर्थों में कट्टरता, विसंगतियां एवं मामूली मतभेद जहां, तहां विस्फोटक स्थितियों में नुकसान पहुंचाते हैं। इन सबके पीछे जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वे हमारे आपसी सद्भाव और मिल-जुल कर काम करने की निरंतर कोशिशों से ही समाप्त हो सकेंगी। और तभी हमारा समग्र विकास संभव हो सकेगा। धर्म हमारे अंतर का प्रकाश होना चाहिए, बाहर का रंगीन आवरण नहीं। □

कहानी

पंडित जी

ज्ञान प्रकाश 'विवेक'

चार दीवारें और पांचवीं छत का जोड़-घर नहीं हो जाता। घर तो महसूस करने की शय होती है। ईंट-पत्थर का मकान ही होता है। सोफा, कालीन, टंगे कलैण्डर मकान को घर नहीं बना सकते।

यहां आकर पंडित जी ने कई बार उस फ्लैट-नुमा मकान में घर को ढूंढ़ने की कोशिश की थी। परन्तु वे सदैव नाकाम रहे। पंडित जी को फ्लैट चमगादड़ की तरह आकाश से चिपका प्रतीत होता था। चौथी मंजिल पर बना फ्लैट पंडित जी के लिए एक टापू बन कर रह गया था। इन ढाई कमरों में अपने आप से बात करने के सिवा और था हीं क्या। यहां आकर पंडित जी की जिन्दगी का आईना इतना धुंधला गया था कि अपना अक्स तक पहचाना नहीं जाता था।

यहां दिनचर्या जैसी कोई बात नहीं थी। पंडित जी गांव में थे तो एक-एक पल का सदुपयोग करते। अल-सुबह उठ कर शुरू हो जाता उनका गायन। भोर का सितारा सदैव पंडित जी से सानिध्य स्थापित करता रहा।

तुलसी की चौपाइयों का जब पंडित जी गायन प्रारम्भ करते तो पेड़ जाग जाते। पेडों पर बैठे परिन्दे जाग जाते। घास जाग जाती, घास पर कोई ओस आंख खोलती। गांव का कुआं जागता, कुएं की मुण्डेर पर बैठी हवा जागती।

पंडित जी शंख बजाते तो बैलों के गले में बंधे घुंघरूओं की आवाज़ पंडित जी के पांव छूने आती, उनके मन्त्रोच्चार, उनके श्लोक, उनका रामायण पाठ जेठ की दोपहरी में पीपल की छांव जैसा भला प्रतीत होता था।

उनका बेटा उन्हें जिस दिन से राजधानी में लाया उसी दिन से उनके हृदय की राजधानी किसी जंगल की तरह चीखने लगी। सभी पराये, सब के सब अजनबी। अपने होकर अनजान दीखने का 'अहं' पाले हुए।

यहां आकर पंडित जी को लगा कि वह 'उम्र कैद' भोगते हुए कैदी के समान हो गए हैं। गांव में पंडित जी का घर किसी आश्रम से कम नहीं था। वहीं की हर छोटी-बड़ी वस्तु से उनका गहरा नाता जुड़ा था। वहां की धूप उन्हें ऐसे लगती मानो कोई बालक तख्ती पर श्लोक लिख रहा हो। छांव, रूठे हुओं को मनुहारती प्रतीत होती। आंधियां ऐसे लिपट जातीं, जैसे बिछुड़ा हुआ मित्र बरसों बाद आकर मिला हो। मिट्टी के दीये की भोली रोशनी, आंगन की तुलसी, शहतूत का पेड़, कच्ची दीवारें, फूस की छत्त—सबके सब पंडित जी के अहसास में घुल गए थे।

एक दिन अशरफ ने कुछ डरते हुए कहा था 'पंडित जी! कभी हमारे कुरान की आयतें श्लोक की भांति सस्वर सुनाओ तो रूह को सुकून मिल जाए।'

कहीं और ऐसी बात हुई होती तो नौबत फसाद तक जा पहुंचती। परन्तु पंडित जी ने बड़े मनोभाव से पूरी मर्यादा के साथ कुरान को सस्वर पढ़ा था। पंडित जी ने उस रोज पूरे गांव में शक्कर बांटी थी। एक नई पवित्र पुस्तक पढ़ने पर क्या वो प्रसाद न बांटते?

जबसे उनका बेटा बनवारी उन्हें शहर में लाया था, तब से वह उदास-उदास रहने लगे थे। बेशक यहां उनका अपना पुत्र था, पुत्रवधू थी और डेढ़ वर्ष का पोता अंकन भी था। परन्तु अपने जैसे लोग यहां नहीं थे। गांव का खुलापन, सम्बन्धों की धरती, अनुबन्धों का आकाश कहीं नजर नहीं थे।

तीन महीनों की अवधि में ही पंडित जी और बनवारी के बीच सम्बन्धों की समतल जमीन कहीं दूर सरक गई थी। बाप-बेटे में कुछ ऐसा संवादहीन टकराव हुआ था जो अनगिनत खाइयां पैदा कर गया था।

बनवारी जब गांव में उन्हें लेने के लिए आया था तो एक-एक से यही उद्घोष करता रहा कि वह अपने पिता जी को और अधिक अकेला नहीं रहने देगा। बेटे ने यह भी दलील रखी कि वह नगर में ऐश करता फिरे और उसका बाप गांव की धूल फांके।'

एक बार तो पंडित का हृदय भी शंकाग्रस्त हो उठा कि इतने बरसों बाद उसे पिता जी

की याद कैसे आई ? फिर तत्काल उन्होंने स्वयं को धिक्कारा 'कितने गलत विचार हैं उनके। बेटा लेने आया है और वह उसके बारे में शंकालू हो उठे।'

गांव के लोगों ने जब यह सुना कि बनवारी पंडित जी को लेने आया है तो सभी एकमत हो कर बोले, 'नहीं, पंडित जी शहर नहीं जाएंगे। उनपर गांव वालों का भी हक है। गांव वाले उनके बिना अनाथ जैसा जीवन नहीं बिताना चाहतें'।

सरपंच ने दुनिया देखी थी वह भांप गया था कि इसमें बनवारी का कोई स्वार्थ जरूर है। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वह बोला, 'पंडित जी! आपका लड़का शहरी हो गया है, तुम्हारे विचार उससे मेल नहीं खाएंगे, मुझे तो डर है कहीं झगड़ा न हो जाए'।

'सरपंच जी बनवारी ऐसा नहीं है, उसे मेरा ध्यान सदैव रहता है'।

सरपंच के सम्मुख पंडित जी ने बनवारी का पत्र लिया था। परन्तु शहर में वह स्वयं भी जाने के पक्ष में नहीं थे। बेटे के आग्रह को टालना भी पंडित जी के लिए कठिन हो गया था अन्ततः उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय ले ही लिया।

पंडित जी ने अपने खेत रामदयाल को काश्त करने के लिए दे दिए। खेतों की मिट्टी उठा कर एक गोटली में बांधी, खेतों के सम्मुख उन्होंने सिर निवाया। खेत छोड़कर पंडित जी किसी अपराध बोध से पीड़ित नज़र आते थे।

गाय बेचते समय पंडित जी बहुत भावुक हो उठे थे। खूंटे से रस्सी खोलते वक्त सम्भवतः गाय भी समझ गई थी कि वह किसी अन्य खूंटे पर बांधी जाएगी। बार-बार पंडित जी के पांव चाटती। गूंगी आंखों से देखती। जैसे वह कह रही हो तुम जाते हो तो जाओ परन्तु मुझे इस खूंटे पर ही बंधा रहने दो। जानवर यदि किसी से रिश्ता जोड़ता है तो वह तोड़ने की पहल कभी नहीं करता।

आंगन में लगी तुलसी, गेंदे के फूल, शहतूत का पेड़ पंडित जी से रूठे प्रतीत होते थे। कौन रात्रि को तुलसी चौरे पर आकर दीप जलाएगा? कौन गेंदे के खिले फूलों को देखेगा? कौन शहतूत की छांव में मानस पढ़ेगा? पंडित जी ने तुलसी की कुछ पत्तियां पोटली में बांध लीं।

घर की दहलीज़ के बाहर आकर कच्चे मकान की भुरभुराती दीवारों को ऐसे देखा, जैसे कोई बादशाह अपना मुल्क छोड़ते हुए अपने महल को देखता है। दहलीज पर पंडित जी के दो आंसू आ गिरे —मानो जलते हुए दीप हों।

गांव के लोगों से मिलते समय पंडित जी की आंखें बरबस भीग रही थीं। सब के सब खामोश बर्फ की भांति बूंद-बूंद रिसते रहे।

जुम्मन तांगे वाला जो दिन भर ऐं-बैं-शैं बकता रहता था, आज पत्थर की सिल बना बैठा था। 'जुम्मन क्या बात है बेटा। तुम बोल नहीं रहे। ऐसे चुप तो कभी नहीं रहे'।

'हा पंडित जी अब नहीं बोलूंगा बिलकुल नहीं बोलूंगा' और वह फूट-फूट कर रोने लगा।

जब कभी जुम्मन को पैसों की जरूरत होती पंडित जी के पास आता। और पंडित जी ने हमेशा उसकी जरूरत को पहचाना था। अब कौन देगा उसे कर्ज वह भी बिना सूद के।

पंडित जी राजधानी के शोर में राजधानी की भीड़ में अपना अस्तित्व खो बैठे। कभी-कभी जब बहुत एकाकीपन महसूस करते तो दोनों पोटलियां खोलते तुलसी की पत्तियां, खेतों की मिट्टी में पूरे गांव के दर्शन करते।

रामदयाल और अन्य लोगों के पत्र आते रहते। खेतों की बात होती, पंडित जी के घर की बात होती, फसल की बात, सूखे और वर्षा की बात होती, फलां का विवाह है, फलां का गोना है। तुलसी के पत्ते झरने लगे हैं। .... जुम्मन सचमुच अब गालियां नहीं देता। बहुत चुप रहता ।.....स्टेशन से शहर आते वक्त तुम्हारे घर के आगे ज़रूर रुकता है।.. कभी-कभी स्टेशन पर खाली तांगा लिए खड़ा रहता है ..... सवारियों को नहीं बैठाता, कहता है पंडित जी इसी गाड़ी से उतरेंगे। उन्हें बिठाना है ..... परन्तु आप नहीं आते और जुम्मन खाली तांगा लिए गांव लौट आता है ..... अशरफ़ कुरान को चौपाइयों की भांति पढ़ने की कोशिश कर रहा है ।.....वह प्रतिदिन तुम्हारे घर तुलसी में पानी देने आता है।

पंडित जी बार-बार उन पत्रों को पढ़ते। बार बार अंगोछे से अपनी आंखें पोंछते।

पंडित जी का अधिकतर समय अंकन के साथ व्यतीत होता। उसकी भोली बातें, तुतलाती जुबान, उन्हें मुग्ध कर देतीं। अंकन की देखरेख उसे नहलाना, दूध पिलाना, सुलाना तक पंडित जी को ही करना पड़ता था। यहां आकर पंडित जी इस वास्तविकता से भी परिचित हो चुके थे कि बनवारी उन्हें अंकन की देखभाल के लिए ले आया है। बनवारी का स्वभाव शहर में आते ही बदल गया था। उसने आदेश-निर्देश देने शुरू कर दिए थे। कैसे बैठना है, कैसे रहना है, जूते कहां रखने हैं .....इतने ऊंचे सुर में चौपाइयां न पढें, शहर के लोग 'डिस्टर्ब' होते हैं। .....पड़ोसी बुरा मानेंगे।

पति-पत्नी दोनों नौकरी पर चले जाते, अकेलापन और अंकन यहीं रह जाता पंडित जी के लिए।

अंकन का कोमल हाथ पकड़ और बाल्कनी में खड़े हो जाते। नीचे गुजरने वाले लोगों को देखते उनका भी मन होता बाहर जाएं, घूमें, लोगों से बातें करें। परन्तु सभी अपरिचित, फिर सीढियां चढने-उतरने का कष्ट उनकी इस इच्छा को रौंद डालता। फिर भी एक आध बार वह अंकन को उठा कर नीचे उतर जाते।

अंकन उनसे खूब हिल-मिल गया था। वह हठ भी करता तो पंडित जी से और लाड़ भी करता तो वह भी पंडित जी से। माता-पिता तो अपने व्यावसायिक समीकरणों में उलझे हुए थे। पंडित जी के आने से पूर्व अंकन को 'चाइल्ड केयर' में रखा परन्तु वहां वह अक्सर बीमार हो जाता। फिर घर में आया को रखा। आया के रखते से भी अंकन को कोई फर्क न पड़ा। आया डाटती, मार भी देती। दूध पीती, चोरी करने की भी आदत से बाज़ न आती। ऐसे में बनवारी को पिता जी की याद आई कि वह अभी जीवित हैं क्यों न उन्हें यहां बुलाया जाएं। मुफ्त में अंकन पल जाएगा। आया के चक्कर से भी निजात मिलेगी।

रविवार का दिन पंडित जी के लिए अधिक कष्टकारक होता। वह चाहते कि बेटा तथा बहू उनके साथ बैठें, बातें करें। उनकी पसन्द नापसन्द को पूछें, परन्तु ऐसा कभी न हुआ। पुत्र और उनकी बहू दोनों अपने में व्यस्त रहे। शापिंग-पार्टी-दावतें आदि में रविवार का दिन व्यतीत कर डालते, कभी-कभी दो-चार वाक्य

पंडित जी के लिए भी बोल देते। ऐसे में पंडित जी को गांव की याद बुरी तरह आकर झिझोड़ती। कहां तो पूरा गांव उनका सम्मान करता था। कहां अपने बेटे और बहू की उपेक्षा उन्हें सहनी पड़ रही है।

एक रविवार की बात है जब पंडित जी की तमाम परम्पराएं उलझे धागे की तरह गुच्छ-मुच्छ हो गईं। रसोई में जाने क्या बनाया जा रहा था जिसकी गंध पंडित जी से सहन न हो पा रही थी। बहू से पूछा तो वह टाल गई। परन्तु बनवारी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, 'पिता जी आज हम 'मीट' बना रहे हैं।'

'मी · · · · · ट', 'पंडित के घर मीट बनेगा मांस पकेगा बनवारी ! यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। आज मांस खाएगा कल तू मदिरा का सेवन करेगा। मेरे होते यह सब नहीं चलेगा।'

'पिता जी मांस न खाना रूढ़िवादिता है। जानते हैं आप कितना प्रोटीन होता है इसमें ?'

'बेटा संस्कार और प्रोटीन का कहीं अनुपात नहीं होता।'

'तो क्या मैं मांस खाने से व्यक्ति नहीं रहूंगा ?'

'जरूर रहोगे बेटा'। पंडित जी ने समझ लिया कि व्यर्थ की बहस में तनाव ही उत्पन्न होगा। मांस खाना भी शहरीपन में शुमार हो गया है। हां इतना अवश्य था कि अब इस रसोई का बना खाना खाते तो उन्हें ध्यान आता कि यहां मांस भी पकता है। बस, इतना ध्यान आते ही उनकी भूख मर जाती, वह खाना समाप्त कर देते।

पंडित जी की सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। इस अवस्था में सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो और भी कठिन हो गया था। अंकन ही एकमात्र उनका सहारा था। अपने नन्हें हाथों से जब वह पंडित जी के गाल सहलाता तो वह सारा दर्द भूल जाते।

एक दिन अचानक अशरफ पंडित जी से मिलने चला आया। पंडित जी को जैसे खुशियों के जगमगाते हजारों चिराग मिल गए थे। पंडित जी बहुत हंसते रहे बहुत बार उन्होंने अपने आंसू पौंछे। मुद्दत बाद वह खुल कर बोल पाए थे। अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो सुख होता है वह उन्हें अरसे बाद प्राप्त हुआ। बनवारी से बढ़ कर अशरफ़ अफ़ीज लगा। अशरफ का आना धुंध भरे दिनों में धूप जैसा था। पंडित जी को लगा अशरफ़ अकेला नहीं है, पूरा गांव है उसकी अनुभूतियों में। अशरफ पंडित जी के लिए हज़ारों उत्सव ले आया था।

तभी बनवारी ने कमरे में प्रवेश किया एक देहाती को सोफे पर आलती-पालती में बैठा देख कर जल-भुन गया। जगह-जगह बीड़ी के टुकड़े, मेज पर बीड़ी की राख, एक कोने में रखी धूल भरी जूतियां बनवारी ने देखा और समझ गया कि यह पंडित जी का मित्र है। उन्हीं के गांव से आया है। पिता जी का अथवा पिता जी के मेहमान का आदर करना दूर, वह अशरफ़ पर बरस पड़ा, 'कुछ तहजीब सीखिए। सोफे पर बैठो परन्तु बैठने का कुछ सलीका भी रखना चहिए। .....यह जो वस्तु पड़ी है न। इसे ऐश-ट्रे कहते हैं बीड़ियों के टुकड़े और राख इसमें फैंकिए'।

अशरफ़ अधिक देर पंडित जी के साथ न बैठ सका। सोच कर आया था कि रात भर रुकेगा। बहुत बातें होंगी। रामायण सुनेगा, कुरान सुनाएगा। परन्तु प्रत्येक उम्मीद, मुठ्ठी में पड़ी रेत की तरह रिस गई।

सीढ़ियां उतरते-उतरते अशरफ़ इतना ही कह पाया, 'यह शहरी तहजीब आप मत सीखना पंडित जी !' फिर पंडित जी के पांव पड़ते हुए अशरफ़ की रुलाई फूट पड़ी और रोते-रोते बोला, मेरे कारण आप दुखी न होना। .....मैं तो पराया हूं .....बेटे के प्रति मन पर मैल न रखना .....मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरे कारण आपको भी गलत बात सुननी पड़ी।'

अशरफ चला गया था। पंडित जी सीढ़ियों में खड़े रहे पराजित सेनापति की भांति, वह सोचने लगे कि अब गांव जाना ही बेहतर होगा। तभी अंकन ने आकर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, दादाजी यहां क्यों खड़े हो चलो अन्दर। .....और पंडित जी उस मासूम को इन्कार न कर सके। □

ज्ञान प्रकाश 'विवेक'
9/508, निकट सिविल अस्पताल
बहादुरगढ़-124507
हरियाणा

उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कार्यक्रम

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में रबी की फसल के लिए मौसम और वर्षा अनुकूल नहीं है फिर भी पिछले वर्ष के 540 लाख टन की तुलना में इस वर्ष के लिये जानबूझकर 620 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यदि प्रकृति ने साथ दिया तो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा हमारे किसानों के एक जुट प्रयासों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी आशा है।

खरीफ के मौसम में विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति तथा बिजली, डीजल, नहर का पानी, बीज, उर्वरक आदि की सप्लाई की जांच करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के विशेषज्ञों ने दौरा किया। धान, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि के उन्नत बीज किसानों में वितरित किए गए। उर्वरक तथा कीटनाशकों का भी देश के हर हिस्से में वितरण किया गया। राज्य सरकारों की ओर से बिजली तथा डीजल की पर्याप्त सप्लाई रही।

इस वर्ष कृषि की सहायता के लिए 250 करोड़ रुपये ऋण देने की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष राज्य सरकारों को इस मद में 200 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे।

"गरीबी मिटाने का एक ही जादू है—और वह है कड़ी मेहनत, इसके साथ ही अनुशासन और अपने उद्देश्यों की सही और साफ़ जानकारी।"

—इन्दिरा गांधी

सत्यमेव जयते-श्रम एव जयते

केन्द्र के समाचार

वर्ष 1982 में अनाज का रिकार्ड उत्पादन

उन्नीस सौ इक्यसी-ब्यासी के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर 5.47 प्रतिशत रही। जबकि छठी योजना में वार्षिक वृद्धि की दर केवल 4 प्रतिशत होने की बात कही गयी है। यह जानकारी 1981–82 के फसल वर्ष की समीक्षा में दी गयी है।

समीक्षा में बताया गया है कि अनाज का कुल उत्पादन 1330.6 लाख टन हुआ जोकि अब तक के उत्पादन में सबसे अधिक है। इससे पहले 1978–79 में 1319 लाख टन अनाज पैदा हुआ था जबकि उस वर्ष में पर्याप्त वर्षा हुई थी। इस वर्ष गेहूं का भी रिकार्ड उत्पादन, 378 लाख टन हुआ। यदि इस वर्ष अप्रैल-मई में बेमौसम वर्षा न होती तो यह उत्पादन और भी अधिक होता। इस कारण करीब-करीब 20 लाख टन गेहूं की बर्बादी हुई।

समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 1981–82 में गन्ने का उत्पादन 1836 लाख टन हुआ जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 1 प्रतिशत अधिक था। इसी वर्ष के दौरान तिलहन का उत्पादन भी 120·6 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 19 प्रतिशत अधिक था। इसी तरह पटसन, कपास आदि में भी लगभग रिकार्ड उत्पादन हुआ। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात और पंजाब में अनाज का रिकार्ड उत्पादन आंका गया।

गन्ने की उपज बढ़ाने के साथ-साथ चीनी का उत्पादन भी बढ़ा जिससे भारत को विश्व का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके पहले तीन वर्ष में चीनी की जो किल्लत महसूस की गई थी वह तो दूर हो ही गई। साथ ही बढ़े हुए उत्पादन को खपाने की समस्या सामने आई।

कृषि उत्पादों का निर्यात

समीक्षा के अनुसार 1981–82 के दौरान 7796 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 16.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें अप्रैल से अगस्त 1982 तक के पहले पांच महीनों में काफी का 63 प्रतिशत, तम्बाकू आदि का 41 प्रतिशत, खली का 18 प्रतिशत, चीनी का 40.1 प्रतिशत, समुद्री उत्पाद का 28 प्रतिशत, डिब्बा बन्द खाद्यान्न का 17 प्रतिशत और कपास का 40 प्रतिशत निर्यात बढ़ा। दाल चीनी को छोड़कर अन्य मसालों के निर्यात में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

1982-83 के फसल वर्ष में कृषि की संभावनाएं

पिछले खराफ के मौसम में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों के कुछ हिस्सों में सूखा तथा वर्षा की कमी रही। उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ के कारण तबाही हुई। कुल हानि का अनुमान लगाया जा रहा है परन्तु प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तबाही होने के बावजूद उत्पादन में उतनी कमी नहीं आएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार पंजाब में चावल का रिकार्ड उत्पादन आंका गया है तथा देश के अन्य भाग में भी उत्पादन का रुख बढ़ती की ओर है। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार ने जो प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं उसके कारण प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि से जूझते हुए भी कृषि उत्पादन में बढोत्तरी हासिल करने की मांग पूरी की जा सकती है।

कृषि उत्पादों के लिए मूल्य नीति

जनवरी 1980 में जब श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तब कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने की माँग जोरों पर थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किसानों को उचित कीमतें दिलवाने का फैसला किया और अनाज, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरहर, उड़द, और मूंग के समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी की। किसानों के हितों की रक्षा के लिए तथा उपभोक्ताओं की सर्वसाधारण आवश्यकताओं को समाधान-कारक रीति से पूरा करने की दृष्टि से मूल्य नीति को समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। इससे अनाज की सप्लाई में स्थिरता रही है। पिछले साल अनाज का भंडार 1058 लाख टन तक नीचे गिर गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिए सरकार ने 22.6 लाख टन गेहूं के आयात की व्यवस्था की है। इससे अनाज की कालाबाजारी रोकी जा सकेगी और मुनाफाखोर गरीबों का शोषण नहीं कर पाएंगे। अनाजों के मूल्यों को भी स्थिर रखने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अनाज के मूल्यों में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई। चीनी तथा गुड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनके मूल्यों में पिछले तीन वर्षों में स्थिरता रही है। खाद्यान्न तेलों की कीमतें भी लगभग स्थिर हो रही हैं। इनमें जो आंशिक वृद्धि का रुख देखा गया है उसका कारण उनके उत्पादन लागत की कीमतों का बढ़ जाना है।

कृषि में भारत और मलयेशिया का सहयोग

मलयेशिया के कृषि मंत्री, श्री दातो अब्दुल मानन बिन ओथमान ने यहां केन्द्रीय कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह से भेंट की और मलयेशिया को कृषि उत्पादों का अधिक मात्रा में निर्यात करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। मलयेशिया के नेता ने राव वीरेन्द्र सिंह को सूचित किया कि मलयेशिया अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं का अधिकांश भाग आयात करता है। उनका देश कृषि और मत्स्य पालन तथा डेरी के विकास को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने मलयेशिया के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भारत का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच अनुसंधान कार्यों के लिए वैज्ञानिकों और बीजों के आदान-प्रदान पर भी विचार विमर्श किया गया।

राव वीरेन्द्र सिंह ने श्री दातो अब्दुल मानन बिन ओथमान को यह आश्वासन दिया कि भारत मलयेशिया को कृषि के विकास में सहायता देगा। उन्होंने यह सुझाव दिया कि मलयेशिया भारत से और अधिक चावल, चीनी, फल, प्याज, और आलुओं का आयात कर सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों को पीने के पानी की सप्लाई

वर्ष 1980–81 के दौरान 25,978 समस्याग्रस्त गांवों को (जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है) पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और वर्ष 1981–82 में इन गांवों की संख्या जहां पीने के पानी की व्यवस्था की गई, 29,837 हो गई। वर्ष 1982–83 के लिए 42,000 समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह ने यहां राज्य मंत्रियों, सचिवों, मुख्य अभियंताओं और जल सप्लाई, तथा सफाई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली प्रभारी एजेंसियों के प्रमुखों के सम्मेलन में यह सूचना दी।

श्री भीष्म नरायण सिंह ने पिछले वर्षों में निरन्तर प्रगति प्राप्त करने पर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि छठी योजनावधि के शेष वर्षों के दौरान वे और अधिक गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान हमारा उद्देश्य सभी 2·31 लाख गांवों को जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है।

श्री भीष्म नारायण सिंह ने कहा कि केन्द्र द्वारा आयोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया है उन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष आवंटित राशि में वृद्धि की जाती है। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के संसाधनों को सुदृढ़ करना है। वर्ष 1980-81 के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। वर्ष 1981–82 में यह राशि बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये और वर्ष 1982–83 में 151.50 करोड़ रुपये कर दी गई। इस राशि को वर्ष 1983–84 और वर्ष 1984–85 में भी बढ़ाने का विचार है। उन्होंने कहा कि छठी योजनावधि के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई 600 करोड़ रुपये की राशि का पूरा इस्तेमाल करने का अनुमान है। उन्होंने राज्य सरकारों से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई राशि का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह न केवल बीस सूत्री कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक है बल्कि केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए भी आवश्यक है।

गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर बल

निर्माण और आवास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास विशेषकर निर्माण स्थलों पर जन सुविधायें और सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों को तेज करें। मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे अधिक से अधिक गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण हेतु यथार्थ दृष्टिकोण अपनाएं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण अंग है। छठी योजना में 16.2 लाख आवासों के निर्माण के लिए 485 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए निर्माण स्थलों पर जन सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है। आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने हेतु अपने कुल निवेश की 30 प्रतिशत राशि रखनी पड़ी है।

मंत्रालय द्वारा इन कार्यक्रमों की, की गई समीक्षा से पता चलता है कि वास्तव में राज्यों की वार्षिक योजना में जो परिव्यय की व्यवस्था की गई है वह योजना में इन कार्यक्रमों से संबंधित निहित प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती है। हुडको द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं को छोड़कर इस बात का पता लगाना कठिन है कि गरीब लोगों के लिए कितने मकान बनाए गए अथवा स्थल विकसित किए गए। जहां कुछेक राज्यों ने गरीब लोगों को आवास देने के लिए हुडको द्वारा दी गई राशि का उचित प्रयोग करके सराहनीय कार्य किया है, वहां कुछ राज्य इस राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं और उनकी उपलब्धि सामान्य से कम है। इसके परिणामस्वरूप 602700 परिवारों को निर्माण सहायता देने और 1017700 मकानों या आवास स्थलों का विकास करने के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले पिछले वर्ष सितम्बर के अन्त तक 1,69,822 परिवारों को सहायता दी गई तथा 260413 आवासीय स्थलों का विकास किया गया। मंत्रालय यह अनुभव करता है कि अधिकांश राज्यों को गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के मामले में अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।

प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष हिन्दी प्रचार से ही दूर होना सम्भव

सुभाष चन्द्र बोस

[29 दिसम्बर, 1928 के राजभाषा सम्मेलन (कलकत्ता) की स्वागत समिति के सभापति के नाते नेताजी ने अपने भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया था। "प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी चीज से नहीं मिल सकती।" हिन्दी के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए तर्क आज के संदर्भ में भी उसी प्रकार उपयुक्त हैं, जिस प्रकार कि 1928 में थे, क्योंकि प्रान्तीय भावनाएं पुनः सिर उठाने लगी हैं।]

अपने मित्रों से मैंने सुना है कि आजकल की हिन्दी गद्य का जन्म कलकत्ते में ही हुआ है। लल्लू जी लाल ने अपना प्रेम सागर इसी नगर में बैठकर बनाया और सदल मिश्र ने चन्द्रावली रचना यहां पर की और वे ही दोनों सज्जन हिन्दी गद्य के आचार्य माने जाते हैं। हिन्दी का सबसे पहला अखबार "विहार बन्धु" यहीं से निकला। इसलिए हिन्दी सम्पादन कला के इतिहास में कलकत्ते का स्थान बहुत ऊंचा है। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय ने ही हिन्दी को एम०ए० में स्थान दिया। आजकल भी हिन्दी के लिए जो काम कलकत्ते में हो रहा है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, कलकत्ता उनके लिए घर जैसा ही है।

सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूं। कितने सज्जनों का ख्याल है कि बंगाली या तो हिन्दी के विरोधी होते हैं या उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। बेपढ़े लोगों में ही नहीं बल्कि सुशिक्षित सज्जनों के मन में इस प्रकार की आशंका पाई जाती है। यह बात भ्रमपूर्ण है और इसका खण्डन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं व्यर्थ अभिमान करना नहीं चाहता पर इतना तो अवश्य कहूंगा कि हिन्दी साहित्य के लिए जितना कार्य बंगालियों ने किया है उतना हिन्दी-भाषी प्रान्तों को छोड़कर और किसी प्रान्त के निवासियों ने शायद ही किया हो। यहां मैं हिन्दी-प्रचार की बात नहीं कहता। उसके लिए स्वामी दयानन्द ने जो कुछ किया और महात्मा गांधी जो कुछ कर रहें हैं उसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं, पर हिन्दी साहित्य प्रचार के लिए स्वर्गीय श्री भूदेव मुकर्जी ने जो महान् उद्योग किया था क्या उसे हिन्दी भाषा-भाषी भूल सकते हैं। और पंजाब में स्वर्गीय श्री नवीनचन्द्र राय ने हिन्दी के लिए जो प्रयास किया क्या वह कभी भुलाया जा सकता है। मैंने सुना है कि यह काम बंगालियों ने 1880 के लगभग ऐसे समय में किया था जबकि बिहार और पंजाब के हिन्दी भाषा-भाषी या तो हिन्दी के महत्व को समझते ही न थे और कितने ही तो विरोधी भी थे। ये लोग उत्तरी भारत में हिन्दी आन्दोलन के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। संयुक्त प्रान्त में इंडियन प्रेस के स्वामी स्वर्गीय श्री चिन्तामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका "सरस्वती" द्वारा और पचासों हिन्दी ग्रन्थों को छपा कर हिन्दी साहित्य की जो सेवा की है उतनी सेवा हिन्दी भाषा-भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी। जस्टिस शारदाचरण मिश्र ने "एक लिपि विस्तार परिषद" को जन्म देकर और "देवनागर" पत्र निकाल कर हिन्दी के लिए प्रशंसनीय कार्य किया था। "हितवार्ता" के स्वामी एक बंगाली सज्जन हो गए थे। और "हिन्दी बंगवासी" अब भी इसी प्रान्त के एक निवासी द्वारा निकाला जा रहा है। आज कल भी हम लोग थोड़ी बहुत सेवा हिन्दी साहित्य की कर रहे हैं। कौन ऐसा कृतघ्न होगा जो श्री अमृतलाल जी चक्रवर्ती की जो 45–46 वर्ष से हिन्दी पत्र सम्पादन का कार्य कर रहे हैं, हिन्दी सेवा को भूल जावें। कविवर श्री रवीन्द्र नाथ ने कबीर की एक सौ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके और उनके शांति निकेतन के श्री क्षितिमोहन सेन ने सन्त कवियों के विषय में अनुसंधान करके हिन्दी की सेवा ही की है। लगभग 15 वर्ष से श्री नगेन्द्र नाथ जार वसु अपने हिन्दी विश्व कोष द्वारा हिन्दी की सेवा और पुष्टि कर रहें हैं और श्री रामानन्द जी चटर्जी "विशाल भारत" द्वारा हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। हमारी भाषाओं के जिन पचासों ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में हुआ है और उनसे हिन्दी भाषा-भाषियों के ज्ञान में जो वृद्धि हुई है, उसकी बात मैं यहां नहीं कहूंगा। मैं शेखी नहीं मारता, व्यर्थ अभिमान नहीं करता, पर मैं नम्रता-पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब जानते हुए भी कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि हम लोग हिन्दी के विरोधी हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि बंगाली अपनी मातृभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायद हममें कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी वाले हमारी मातृभाषा बंगला को छुड़ा कर उसके स्थान पर हिन्दी रखवाना चाहते हैं। यह भी निराधार भ्रम है। हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिन्दी से लिया जाए। अपनी माता से भी अधिक प्यारी मातृभाषा बंगला को तो हम कदापि नहीं छोड़ सकते। □

चलो गांव की ओर

जगदीशचन्द्र शर्मा

हरियाली का प्यार जहां है,
खेतों का उपहार जहां है;
पक्षी गाते गीत मनोहर,
खुशियों का संसार जहां हैं,

जहां नई आशाएं लेकर,
आती नई हिलोर—
चलो गांव की ओर !

श्रम का है सम्मान अनोखा
पढ़े दिखाई घर-घर में,
भरा लबालब रहता जैसे,
निर्मल पानी सरबर में !

बंधी सफलताओं से हरदम,
रहती श्रम की डोर—
चलो गांव की ओर !

भाई-चारे की परम्परा
जन-मन में मुस्काती है—
आपस का सहयोग जहां के
जन-जीवन की थाती है ।

पग-पग पर सहकार लुभाता
सचमुच चारों ओर—
चलो गांव की ओर !

पो० गिलूंड–313207 (राजस्थान)

सतरंगी

होली का इन्द्र-धनुष

आसमान पर
टंगा है होली का इन्द्रधनुष
इसमें है सात रंग
एक है खेत प्रेम का दूसरा सद्भाव का
तीसरा राष्ट्रीय प्रेम का
चौथा निष्ठा लगन का
पाँचवां मेहनत का
छठा विकास का तथा
सातवाँ है समानता का ।
आओ इस नये
सतरंगी इन्द्रधनुष को हम
अपनी धरा पर उतारें
और साकार करें जीवन में ।
यह होली इसलिए तो
आई है जन-गण को एक नया विचार
और सुखों का आधार सौंपने ।
प्यार और त्याग के
रंग, अबीर तथा गुलाल से
आओ परस्पर रंग लें अपने मन
जिससे जीवन की फुलवारी महके
और लहलहाये खुशियों की नयी फसल ।

पूरन सरमा

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

चित्र में किसान कृषि विकास कार्यकर्ता को अपनी गेहूं की भरपूर फसल दिखाते हुए। इससे पहले इसी खेत से इन्हें संकर मक्का की प्रति हैक्टेयर 40 क्विंटल पैदावार मिली थी।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।